TBD (A) 4-3/2019
Government of Himachal Pradesh
Tribal Development Department

From

The Principal Secretary (TD) to the
Government of Himachal Pradesh

To

1. The Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh
2. All the ACS/Pr. Secretaries/ Secretaries to the Government of H.P.
3. The Pr. P.S. to the Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Senior P. S. to Hon'ble Tribal development Minister, H.P.
5. The Principal Chief Conservator of Forest, H.P.
6. The Engineer in Chief (PWD) Nigam Vihar , Shimla-2
7. The Engineer in Chief (IPH) U.S. Club , Shimla-1
8. The Director A.H. /Elem. & Higher Education/ YSS/ SJ&E/ Health/ RD& PR /Food & Civil Supplies/ IT/ Tourism/ LAC / GAD / LEP /Ayush/ UD /Inds.
9. The CEO, HIMURJA, Shimla-9
10. The G.M. Telecom, Shimla-9
11. The Chairman, HPSEB, Shimla-4
12. The Deputy Commissioner, Kangra/ Chamba/ Sirmour/ Lahaul & Spiti /Kinnaur / Mandi, H.P.
13. Commissioner, TD Shimla-2.

Dated: Shimla-2 07 -12-2021

Subject:- Regarding 18th Meeting of Gaddi Kalyan Board.

Sir,

I am directed to inform to you that the 18th meeting of Gaddi Kalyan Board is scheduled to be held on 12-12-2021 at 10:00 A.M. to 12:00 P.M. in Government Degree College, Auditorium, Dharmshala, District Kangra Himachal Pradesh under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister.

You are, therefore, requested to make it convenient to attend the meeting on scheduled date, time and venue.

The agenda has already been circulated vide this Department's letter of even Number dated 09-07-2021. However, the copy of the same can also be downloaded from official website " himachal.nic.in/ tribal".

It is further requested that in case of any updated information of the items pertaining to your Department, the same may please be brought into the notice during the meeting.

Yours faithfully

(C.P. Verma)
Special Secretary (TD) to the
Government of Himachal Pradesh
0177-2880479

हिमाचल प्रदेश गद्दी कल्याण बोर्ड की 18वीं बैठक की मद्दें का विभागबार ब्यौरा।

क्र0सं0	विभाग का नाम	मद्दें
1	लोक निर्माण	2,3,10,11,14,15,21,35,41,45,47,48,49, 50,52,58,59,61
2	वन	13,30
3	स्वास्थ्य	37,39
4	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	22,29,55
5	प्रारम्भिक शिक्षा	33,34
6	उच्च शिक्षा	10,34,38,57
7	पशुपालन	7,9,30,31,53
8	विद्युत	17,27,42,56
9	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता	25
10	गृह	43
11	सूचना एवं प्रोद्योगिकी	16,41
12	राजस्व	30,32,54
13	ग्रामीण विकास	7,8,14,15,21,26,28,40,60
14	युवा सेवाएं एवं खेल	62
15	पर्यटन	5,6
16	हिमऊर्जा	19,42
17	दूरसंचार	16,41
18	उपायुक्त कांगड़ा	2,3,4,5,13,20,21,45,47,48,49,50,51,52, 55,59,60,61
19	उपायुक्त चम्बा	7,8,9,11,12,13,14,15,18,20,28,29,40
20	भाषा कला एवं संस्कृति	1
21	पंचायती राज	1,7,9,23,24,46
22	जन जातीय विकास	2,3,9,11,26,36,44,57,58,61
23	सामान्य प्रशासन	16,41
24	शहरी विकास	24
25	श्रम एवं रोजगार	24
26	अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत	24
27	आयुर्वेदा	37

गद्दी कल्याण बोर्ड की 18वीं बैठक के लिए कार्यसूची मद्दें

1. गद्दी जनजाति की संजाति विषयक,संस्कृति,परम्परा व रीति रिवाज का अस्तित्व बनाये रखने बारे।

गद्दी जनजाति की संजातिय विषयक,संस्कृति,परम्परा व रीति रिवाज का अस्तित्व बनाये रखने के लिए जरूरी है कि इस जनजाति की प्रगति के लिए निरंतर प्रयास किये जाएं परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाए कि

शहरी–करण के लपेटे में न लाकर पंचायती राज के माध्यम से ही विकास किया जाए।

विनोद कपूर बरसैण, योल कैंट धर्मशाला, कांगड़ा

विभागः– भाषा कला एवं संस्कृति/पंचायती राज

विभागीय उत्तरः–

भाषा कला एवं संस्कृतिः–जिला कुल्लू तथा किन्नौर में गद्दी जनजाति के लोग निवास करते हैं। जिला चम्बा में गददी जनजाति की संस्कृति का पूर्व में दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। जिला भाषा अधिकारी, कांगड़ा द्वारा गद्याली लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्वन हेतु एक सेमिनार/गोष्ठी का आयोजन दिनांक 7–2–2020 को किया गया है। उक्त सेमीनार में बदलते परिवेश में गदियाली बोली का महत्व,शिव पूजन नवाये की प्रासंगिकता तथा गदियाली लोक परम्परा पर शोध पत्र पढ़े गये।

पंचायती राजः– इस समुदाय के लोग पंचायत क्षेत्र के निवासी हैं। अतः उनको विकास का लाभ पंचायतों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है और भविष्य में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। पंचायतें अपने क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से स्थान/समुदाय विशेष की संस्कृति बनाये रखने के लिए पूर्णतः अधिकृत है। उल्लेखित कार्यों (संजाति विषयक संस्कृति, परम्परा व रीति रिवाज का अस्तित्व बनाये रखने बारे) के लिये धनराशि का प्रावधान भाषा एव संस्कृति अथवा पर्यटन विभाग द्वारा किया जा सकता है। पंचायती राज विभाग द्वारा इन कार्यों के लिये धनराशि नहीं दी जाती।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवायेंगे।</u>**

2. लगोड़ वार्ड न0–9 में सड़क बनाने के लिए जन जातीय विकास विभाग के माध्यम से 20–25 लाख रुपये उपलब्ध करवाने बारे।

नूरपुर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गैरी लगोड़ वार्ड न0 9 में एक जनजातीय बस्ती है उसमें लगभग 30 (तीस) परिवार रहते हैं। वह आज तक पक्की सड़क सुविधा से बंचित है। वहां सड़क बनाने के लिए जनजातीय विकास विभाग के माध्यम से लगभग 20–25 लाख रु0 दिए जाएं।

रमेश कौशल,कियाली,नूरपुर कांगड़ा
जन जातीय विकास/लोक निर्माण/उपायुक्त कांगड़ा

विभागीय उत्तरः–

जन जातीय विकासः—जनजातीय विकास विभाग के अनुरोध पर योजना विभाग द्वारा वर्ष 2021—22 के लिए लोक निर्माण विभाग की मांग संख्या—10 के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के बारे मु0 4.50 करोड़ रुपये का प्रावधान जनजातीय क्षेत्रों से बाहर रह रहे अनुसूचित जन जाति जनसंख्या को सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु चिन्हांकित किया गया है। लोक निर्माण विभाग इस सड़क को परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में सम्मिलित करने बारे उपयुक्त आवश्यक कार्यवाही अमल में लाए।

लोक निर्माणः— यह रास्ता खुशीनगर मिंजग्रां सड़क की आर0डी0 1/700 से निकलती हुए गांव लगोड़ गद्दी बस्ती वार्ड न0 9 तक जाती है जिसकी कुल लम्बाई 0.615 कि0 मी0 है जिसमें 0/20 से 0/360 तक वन विभाग की भूमि आती है तथा 0/360 से 0/615 तक लोगों की निजी भूमि आती है। यह सड़क किसी स्कीम में शामिल नहीं है और न ही इसके लिए कोई बजट का प्रावधान है। इस सड़क की किसी योजना में स्वीकृति होने तथा बजट का उचित प्रावधान होने पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उपायुक्त कांगड़ाः— जिला योजना अधिकारी ने उक्त मद पर कार्रवाई करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल नूरपूर को लिखा था जिसकी ताहाल रिपोर्ट प्राप्त न हुई है। इस सम्बन्ध में जिला योजना अधिकारी को स्मरण पत्र जारी किया जा चुका है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवायेंगे।</u>**

3 नूरपुर में जन जातीय भवन का निर्माण नदी से दूर करने बारे।

नूरपुर में एक जनजातीय भवन बनना प्रस्तावित है लेकिन जहां पर जन जातीय भवन बनना प्रस्तावित है वह जगह दो नदियों के साथ लगती है आपदा के लिहाज से वह जगह उचित नहीं है उस भवन को नई जगह उपलब्ध करवाई जाए। ताकि यह भवन सुरक्षित जगह बनें।

रमेश कौशल,कियाली,नूरपुर कांगड़ा
जन जातीय विकास/लोक निर्माण/उपायुक्त कांगड़ा

विभागीय उत्तरः—

<u>लोक निर्माणः</u>— नूरपुर में एक जनजातीय भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 21—09—2017 को माननीय वन एवं मत्स्य मंत्री द्वारा किया गया। इस लिये आयुक्त जनजातीय

विकास विभाग ने 234.94 रूपये लाख का अनुमोदन किया है और अभी तक 165.73 लाख की राशि जारी कर दी है। इस भवन के निर्माण का कार्य दिनांक 12–07–2019 को ठेकेदार को आबंटित कर दिया है। प्रस्तावित भवन की भूमि जब्बर खड्ड के बाएं तथा गरेल खड्ड के दायें तट पर स्थित है। यहां पर दोनों खड्डें आपस में मिलती हैं जिस प्रस्तावित स्थान पर निर्माण कार्य किया जाना है,यदि प्रस्तावित भवन यहीं बनाया जाता है तो इसकी सुरक्षा के लिये Protection work का कार्य करवाया जाना अति आवश्यक है।

<u>जन जातीय विकासः–</u>

जनजातीय भवन नूरपुर के निर्माण हेतु जनजातीय विकास विभाग के नाम मुहाल जाच्छ तहसील नूरपुर में खसरा नं0 2338/2 रकवा तादादी 0.19. 55 है0 भूमि स्थानान्तरित हो चुकी है तथा भवन निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को मु0 235.00 लाख रुपये का बजट आबंटन कर दिया गया है। जनजातीय भवन निर्माण की नवीनतम स्थिति के लिए लोक निर्माण विभाग से, पत्र दिनांक 25.10.2019, 05.11.2019, 02.07.2020,17. 07.2020 के द्वारा पत्राचार किया गया परन्तु उनसे अभी तक निर्माणकार्य की नवीनतम स्थिति की सूचना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा ने पत्र दिनांक 22.10.2020 द्वारा उप मण्डल अधिकारी (ना0) नूरपुर के पत्र दिनांक 21.03.20 को संलग्न करते हुए जनजातीय भवन के निर्माण हेतु अन्य निर्माण–स्थल मुहाल रामपुरियत तहसील नूरपुर खसरा न0 905/1019 रकवा 0.27.00 है0 प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित भूमि को जनजातीय विकास विभाग के नाम हस्तांतरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत प्रकरण तैयार करने के लिए उपायुक्त, जिला कांगड़ा को पत्र दिनांक 16.09.2020 द्वारा अनुरोध किया गया है । मामला उपायुक्त, जिला कांगड़ा के विचाराधीन है।

<u>उपायुक्त कांगड़ाः–</u> अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा स्थित धर्मशाला ने सूचित किया है जनजातीय भवन का निर्माण जब्बर खड्ड और गरेली खड्ड के साथ उसी स्थान पर किया जाना है जहां पर भूमि चयनित की गई है जैसे बारिश का मौसम खत्म होगा उक्त कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। उक्त भवन निर्माण के कार्य की नवीनतम स्थिति बारे उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) नूरपुर दोबारा रिपोर्ट ली गई उनसे प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जनजातीय भवन नूरपुर की आधारशिला जब्बर खड्ड और गरेली खड्ड दो खानों के जक्शन पर स्थित है। मानसून के मौसम में बाढ की संभवना और कार्य स्थल पाउंडिंग की संभावना के कारण यह स्थान जनजातीय भवन के निर्माण के लिए सुरक्षित नहीं है । इस सम्बंध

में उन्होंने अधिशाषी अभियन्ता की सिफारिश उपरांत अपनी अनुशंसा जिला राजस्व अधिकारी कांगडा स्थित धर्मशाला के कार्यालय में भेजी थी । लेकिन उक्त मामला अभी तक जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।</u>**

4. भेड़ पालकों की आत्मरक्षा के लिए बन्दूक लाइसैंस उपलब्ध करवाने बारे।

भेड़ पालकों की आत्मरक्षा के लिए बन्दूक लाइसैंस दिए जाएं।

रमेश कौशल,कियाली,नूरपुर,कांगड़ा
उपायुक्त कांगड़ा

विभागीय उत्तरः–

<u>उपायुक्त कांगड़ाः–</u> जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उक्त रिपोर्ट में पाया गया कि कांगड़ा जिले के भेड़ पालकों द्वारा आत्मरक्षा हेतु जब भी बन्दूक लाइसैंस के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते है उन्हें शस्त्र अधिनियम, 1959 तथा शस्त्र अधिनियम, 2016 के प्रावधान के तहत पात्रता शर्तें पूर्ण करने पर ही दिये जाते है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐगा।</u>**

5. जन जातीय क्षेत्रों में वहां के मूल निवासियों को कार्य के लिए प्राथमिकता देने बारे।

जन जातीय क्षेत्रों में पर्यटन क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उसमें वहां के मूल निवासियों के हितों को ध्यान में रखकर उन्हें वहां पर कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाए। (Tribal Rights)

नरेन्द्र कुमार, धर्मकोट, धर्मशाला,कांगड़ा
पर्यटन/उपायुक्त कांगड़ा

विभागीय उत्तरः–

<u>पर्यटन</u> :–पर्यटन विभाग द्वारा जन जातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होटल ईकाइयां स्थापित करने के उद्देश्य से होटल शुरू होने की तारीख से 10 साल तक की अवधि में विलासिता कर में छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जन जातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होमस्टे ईकाइयां स्थापित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है एवं होमस्टे

मालिकों को समय–समय पर संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस वर्ष 503 व्यक्तियों को होमस्टे विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। जिसमें से जिला किन्नौर में 52 होमस्टे मालिकों एवं इच्छुक प्रार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- **उपायुक्त कांगड़ा से सूचना प्राप्त नहीं हुई है**
- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।**

6. **केन्द्रीय पर्यटन विभाग की बी. एण्ड बी. योजना (बेड एण्ड ब्रेकफास्ट) योजना को हिमाचल में केन्द्रीय पर्यटन नियमों के अनुसार लागू करने बारे।**

केन्द्रीय पर्यटन विभाग की बी. एण्ड बी. योजना बेड एण्ड ब्रेकफास्ट) योजना को हिमाचल में केन्द्रीय पर्यटन नियमों के अनुसार लागू किया जाए। जिसमें हिमाचल सरकार के पर्यटन नियमों में भवन नक्शे की शर्त हटाई जाए। ताकि पर्यटन क्षेत्र में विकास हो सके।

नरेन्द्र कुमार,धर्मकोट, धर्मशाला,कांगड़ा
पर्यटन विभाग

विभागीय उत्तरः–

पर्यटनः–B&B योजना (बेड एंड ब्रेकफास्ट) योजना केन्द्र सरकार की योजना है। हिमाचल में बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत ईकाइयां स्थापित की जा रही हैं। केन्द्रीय पर्यटन विभाग की B&B योजना (बेड एंड ब्रेकफास्ट) योजना को हिमाचल में केन्द्रीय पर्यटन नियमों के अनुसार लागू नहीं किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन related ईकाइयों को प्रदेश में पर्यटन नियमों के अनुसार ही स्थापित किया जाता है। क्योंकि नियमों के तहत हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की बचाव व्यवस्था को मध्यनजर रखा जाता है हिमाचल की भूगोलीय स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में भवनों का निर्माण नक्शे के अनुसार ही किया जाता है। अतः भवन निर्माण से नक्शे की शर्त को हटाया जाना उचित नहीं है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

7. **विभिन्न मांगें**

निर्माण शैड भेड़ पालक गांव काला रौण ग्राम पंचायत खरगट,निर्माण शैड भेड़पालक गांव जमैडू कंडा ग्राम पंचायत खरगट,निर्माण शैड भेड़ पालक धार

नडाली ग्राम पंचायत मोतला।

चुन्नी लाल, खरगट ,सिंहुता, चम्बा
ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन, उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

पशुपालनः– विभाग ने अवगत करवाया है कि भेड़ों के लिए शैड बनाने का मामला पंचायती राज विभाग एवं सम्बन्धित जिला के उपायुक्त से सम्बन्धित है तथा पशुपालन विभाग द्वारा भेड़ शैड बनाने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

ग्रामीण विकास, पंचायती राज :– संयुक्त निदेशक ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत करवाया है कि खण्ड विकास अधिकारी भटियात जिला चम्बा से प्राप्त सूचना के अनुसार इस कार्य को वर्ष 2020–21 की मनरेगा शैल्फ में सम्मिलित कर दिया गया है।

उपायुक्त चम्बाः– उपायुक्त चम्बा ने सूचित किया है कि सम्बंधित ग्राम पंचायतों को अपनी–अपनी पंचायतों से कार्य योजनाएं भेजने हेतु कहा गया था। इसके अतिरिक्त गद्दी कल्याण बोर्ड के सदस्यों को भी विकास में जन सहयोग के अंतर्गत योजनाएं भेजने हेतु कहा गया था लेकिन न तो किसी पंचायत से और न ही किसी लाभार्थी से कोई योजना प्राप्त हुई है। परन्तु इसके अतिरिक्त जो कार्य मनरेगा के अंतर्गत मान्य है उन्हें संबंधित पंचायत के मनरेगा शैल्फ 2020–21 में सम्मिलित कर लिया गया है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।**

8. **सड़कें एवं सामुदायिक भवन बनाने बारे।**

सड़क निर्माण गांव दुपर से गुढाल एवं बिट्ठल से छो वाली माता तक सड़क निर्माण करने तथा गांव चेली ग्राम पंचायत काथला में सामुदायिक भवन बनवाने की कृपा करें।

चुन्नी लाल, खरगट,सिंहुता,चम्बा
ग्रामीण विकास/उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

ग्रामीण विकास, पंचायती राज :– संयुक्त निदेशक ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत करवाया है कि खण्ड विकास अधिकारी भटियात जिला चम्बा से प्राप्त सूचना के अनुसार इस कार्य को वर्ष 2020–21 की मनरेगा शैल्फ में सम्मिलित कर दिया गया है।

उपायुक्त चम्बाः– उपायुक्त चम्बा ने सूचित किया है कि सम्बंधित ग्राम पंचायतों को अपनी–अपनी पंचायतों से कार्य योजनाएं भेजने हेतु कहा गया था। इसके अतिरिक्त गद्दी कल्याण बोर्ड के सदस्यों को भी विकास में जन सहयोग के अंतर्गत योजनाएं भेजने हेतु कहा गया था लेकिन न तो किसी पंचायत से और न ही किसी लाभार्थी से कोई योजना प्राप्त हुई है। परन्तु इसके अतिरिक्त जो कार्य मनरेगा के अंतर्गत मान्य है उन्हें संबंधित पंचायत के मनरेगा शैल्फ 2020–21 में सम्मिलित कर लिया गया है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

9. **जन जातीय भवन वनाने/भेड़ पालकों के लिए शैड वनाने बारे।**

पिरथू ग्राम पंचायत जन्द्रोग एवं छतरार नाग ग्राम पंचायत सुरपडा में जन जातीय भवन बनाने तथा गांव कुई ग्राम पंचायत सुरपडा में भेड़ पालकों के शैड बनवाने की कृपा करें।

पवन कुमार, समोट, सिंहुता, चम्बा

जन जातीय विकास, पंचायती राज, पशुपालन, उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

जन जातीय विकासः–जिला चम्बा में बालू तथा सिंहुता में जन– जातीय लोगों की सुविधा के लिए भवन का निर्माण किया गया है। एक ही जिले में अलग–अलग स्थानों पर जन जातीय भवन का निर्माण करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

पशुपालनः– इस मद बारे अवगत करवाया जाता है कि जन जातीय भवन बनाने/ भेड़ पालको के लिये शैड बनाने का मामला पंचायती राज विभाग/ सम्बन्धित जिला के उपायुक्त से सम्बन्धित है तथा पशुपालन विभाग द्वारा जन जातीय भवन बनाने/भेड़ शैड बनाने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

उपायुक्त चम्बाः– उपायुक्त चम्बा ने सूचित किया है कि सम्बंधित ग्राम पंचायतों को अपनी–अपनी पंचायतों से कार्य योजनाएं भेजने हेतु कहा गया था। इसके अतिरिक्त गद्दी कल्याण बोर्ड के सदस्यों को भी विकास में जन सहयोग के अंतर्गत योजनाएं भेजने हेतु कहा गया था लेकिन न तो किसी

पंचायत से और न ही किसी लाभार्थी से कोई योजना प्राप्त हुई है। परन्तु इसके अतिरिक्त जो कार्य मनरेगा के अंतर्गत मान्य है उन्हें संबंधित पंचायत के मनरेगा शैल्फ 2020–21 में सम्मिलित कर लिया गया है।

- **<u>पंचायती राज से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</u>**
- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।</u>**

10. **जन जातीय क्षेत्र गांव चक्की तक सड़क निर्माण एवं मुख्य सड़क चुवाड़ी फगोट से सोलता,कुलेरा,बिन्तरू नाग तक सड़क बनाने तथा राजकीय उच्च पाठशाला तला का दर्जा बढ़ाने बारे।**

निर्माण सड़क गांव तला से जन जातीय क्षेत्र चक्की, निर्माण सड़क मुख्य सड़क चुवाड़ी फगोट से सोलता,कुलेरा,बिन्तरू नाग तक तथा जन जातीय गांव सुरपड़ा कुई गुमराहर के लिए राजकीय उच्च पाठशाला तला का दर्जा बढ़ाकर 10+2 करने की कृपा करे।

पवन कुमार, समोट, सिंहुता, चम्बा

लोक निर्माण/उच्च शिक्षा विभाग

विभागीय उत्तरः–

<u>उच्च शिक्षाः–</u> वर्तमान में राजकीय उच्च पाठशाला तला में दसवीं में छात्रों की संख्याः 28 है तथा नजदीकी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खरगट की दूरी पैदल मार्ग से 04 कि0मी0 है तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समोट की दूरी सड़क मार्ग द्वारा 08 कि0मी0 है। अतः यह पाठशाला स्तरोन्नत हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करती है।

<u>लोक निर्माणः–</u> गांव चक्की तक सड़क की कुल लम्बाई 13.00 कि0 मी0 बनती है इस सड़क को वर्ष 2019–20 की (प्राथमिक नम्बर–1) विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत डाला गया है। जिसके प्रथम 7.500 कि0मी0 का सर्वे विभाग द्वारा कर लिया गया है जिसमें 2.530 कि0 मी0 निजी भूमि तथा 4.970 कि0 मी0 वन भूमि आती है। निजी भूमि विभाग के नाम पर करवाने के प्रयास जारी है। जैसे ही निजी भूमि विभाग के नाम पर होती है वैसे ही वन भूमि हस्तान्तरण के लिये मामला तैयार करके स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा। इस सड़क के निर्माण से ददरियाड़ा, चियुण, जन्दरोग, रथभोरा तथा कुट आदि गांव लाभावित्त होंगे। चुवाड़ी फगोट से सोलता,कुलेरा,बिन्तरू नाग सड़क की लम्बाई 11.500 कि0मी0 बनती है जिसमें 1.500 कि0मी0 निजी भूमि तथा 10.000 कि0मी0 वन भूमि आती है। उक्त सड़क के लिए विभाग के पास कोई बजट प्रावधान नहीं है न ही उक्त सड़क किसी भी योजना में स्वीकृत है। योजना स्वीकृत व बजट प्रावधान होने पर ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।</u>**

11. **पैदल पुल निर्माण/सड़क निर्माण/जन जातीय सामुदायिक भवन बनाने बारे।**

पैदल पुल निर्माण बाड़ देहर खडड् ग्राम पंचायत टिकरी। सड़क निर्माण छतरहार नाग से कथियाड़ी पोलिंग बूथ चिरण्डी कुम्हारता तक। जन जातीय सामुदायिक भवन बन्नी ग्राम पंचायत किहारी।

तिलक राज, टिकारी, सिंहुता, चम्बा

लोक निर्माण/जन जातीय विकास/ उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

लोक निर्माणः– पैदल पुल निर्माण बाड देहर खडड ग्राम पंचायत टिकरी की लम्बाई 70.00 मीटर बनती है और चौड़ाई 2.250 मीटर है। उक्त पुल के लिये विभाग के पास कोई बजट प्रावधान नहीं है और न ही उक्त पुल किसी भी योजना में स्वीकृत है। योजना स्वीकृत व बजट प्रावधान होने पर ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

छतराहर नाग से कथियाड़ी पोलिंग वूथ चिरण्डी कुम्हारता तक सड़क की लम्बाई 06.200 कि0 मी0 बनती है। जिसमें 1.200 कि0 मी0 निजी भूमि तथा 5.000 कि0मी0 वन भूमि आती है। उक्त सड़क के लिए विभाग के पास कोई बजट प्रावधान नहीं है व न ही उक्त सडक किसी भी योजना में स्वीकृत है। योजना स्वीकृत व बजट प्रावधान होने पर ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

<u>जन जातीय विकासः–</u> जिला चम्बा के बालू तथा सिंहुता में जन जातीय लोगों की सुविधा के लिये जन जातीय भवन का निर्माण किया गया है। एक ही जिले में अलग–अलग स्थानों पर जन जातीय भवन का निर्माण करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपायुक्त चम्बा :–(क) उपायुक्त चम्बा ने अवगत करवाया है कि निर्माण पैदल पुल बाड देहर खडड ग्राम पंचायत टिकरी हेतु विभाग के पास बजट प्रावधान नहीं होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। अतः बजट प्रावधान होने पर ही आगामी कार्यावाही अमल में लाई जा सकती हैं।

(ख) निर्माण सडक छतराहर नाग से कथियाड़ी पोलिंग वूथ चिरण्डी कुम्हारता हेतु विभाग के पास बजट प्रावधान नहीं होने के कारण निर्माण

नहीं किया जा सका। अतः बजट प्रावधान होने पर ही आगामी कार्यावाही अमल में लाई जा सकती हैं।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।</u>**

12. **भेड़ बकरियों के लिए निम्नलिखित जगहों पर रेन शैड बनाने बारे।** (क) मैहली धार (ख) रोकृड़ी (ग) घराणू (घ) बंगानाल (ड0) धरोठधार

तिलक राज,टिकारी,सिंहुता,चम्बा
उपायुक्त चम्बा

<u>उपायुक्त चम्बाः</u>— उपायुक्त चम्बा ने सूचित किया है कि सम्बंधित ग्राम पंचायतों को अपनी—अपनी पंचायतों से कार्य योजनाएं भेजने हेतु कहा गया था। इसके अतिरिक्त गद्दी कल्याण बोर्ड के सदस्यों को भी विकास में जन सहयोग के अंतर्गत योजनाएं भेजने हेतु कहा गया था लेकिन न तो किसी पंचायत से और न ही किसी लाभार्थी से कोई योजना प्राप्त हुई है। परन्तु इसके अतिरिक्त जो कार्य मनरेगा के अंतर्गत मान्य है उन्हें संबंधित पंचायत के मनरेगा शैल्फ 2020—21 में सम्मिलित कर लिया गया है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।</u>**

13. **भेड़ पालकों के परमिट रद्ध करके नये भेड़ पालकों को परमिट देने बारे।**

जो भेड़ पालक अपना व्यवसाय छोड़ गये हैं उनके परमिट रद्ध करके नये भेड़ पालकों को दिए जाए।

रमेश कौशल,कियाली,नूरपुर,कांगड़ा
वन विभाग/ उपायुक्त कांगड़ा/चम्बा

विभागीय उत्तरः—

वन विभागः— वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश ने अवगत करवाया है कि अपना व्यवसाय छोड़ने वाले किसी भी पालक द्वारा व्यवसाय छोड़ने अथवा परमिट रद्द करने बारे वन विभाग कोई सूचना नहीं दी गई है। जहां तक व्यवसाय छोडने वाले भेड पालकों के परमिट रद्द

करने करके नये भेड पालकों को जारी करने का प्रश्न है, विषय पर प्रचलित दिशानिर्देशों में अधिकार धारकों तथा उनके उतराधिकारियों (Legle Hair) के नाम ही चराई / चरान परमिट जारी करने का प्रावधान है।

- **<u>उपायुक्त कांगड़ा/चम्बा से सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>**

14. कलासन तथा नरवाड़ी में जनजातीय सामुदायिक भवन बनाने एवं ब्राइडर पाथ छतरार नाग से चक्की तक सड़क बनाने बारे।

जनजातीय सामुदायिक भवन कलासन ग्राम पंचायत जंदरोग, जनजातीय सामुदायिक भवन नरवाड़ी ग्राम पंचायत खनोडा, ब्राइडर पाथ छतरार नाग चक्की वाया टेंटा,मंडार,ओडु ग्राम पंचायत जंदरोग लम्बाई लगभग 10 कि0मी0.

कुलदीप सिंह, सिंम्बल घटा, टुण्डी, भटियात, चम्बा
लोक निर्माण/ग्रामीण विकास/उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

<u>लोक निर्माणः</u>–छतराहर नाग से चक्की तक सड़क की लम्बाई 10.500 कि0 मी0 बनती है जो सारी वन भूमि है। उक्त सड़क के लिए विभाग के पास कोई बजट प्रावधान नहीं है और न ही उक्त सड़क किसी भी योजना में स्वीकृत है। योजना में स्वीकृत होने व बजट प्रावधान होने पर ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

<u>ग्रामीण विकास,पंचायती राज</u> :– संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत करवाया है कि खण्ड विकास अधिकारी, भटियात जिला चम्बा से प्राप्त सूचना के अनुसार जनजातीय भवन कलासन ग्राम पंचायत जंदरोग एवं नरवाडी ग्राम पंचायत खनोडा के कार्य को वर्ष 2020–21 की मनरेगा शैल्फ में सम्मिलित कर दिया गया है।

<u>उपायुक्त चम्बाः–(क)</u> उपायुक्त चम्बा ने अवगत करवाया है कि प्रस्तावित कार्यों का प्राकलन विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अर्न्तगत धन स्वीकृति हेतु खण्ड विकास अधिकारी भटियात से मंगवाऐ गऐ है, जो कि अभी प्राप्त नहीं हुए है प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही तदानुसार की जाएगी।

(ख) निर्माण बगाइडर पाथ छतराहर नाग चक्की हेतु विभाग के पास बजट प्रावधान नहीं होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। अतः

बजट प्रावधान होने पर ही आगामी कार्यावाही अमल में लाई जा सकती हैं।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।</u>**

15. **जनजातीय सामुदायिक भवन गदन टप्पा ग्राम पंचायत टिक्करी,गुआनी ग्राम पंचायत तुरकड़ा,बलेरा ग्राम पंचायत बलेरा एवं सड़क निर्माण नाग से छींटगली ग्राम पंचायत सुरपड़ा में बनाने बारे।**

जनजातीय सामुदायिक भवन गदन टप्पा ग्राम पंचायत टिक्करी।
जनजातीय सामुदायिक भवन गुआनी ग्राम पंचायत तुरकड़ा।
जनजातीय सामुदायिक भवन बलेरा ग्राम पंचायत बलेरा।
सड़क निर्माण छतरार नाग से छींटगली ग्राम पंचायत सुरपड़ा।

सतपाल सिंह, दरनून, सिहूंता, चम्बा

लोक निर्माण/ग्रामीण विकास/उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

<u>लोक निर्माणः</u>–छतराहर नाग से छींटगली ग्राम पंचायत सुरपड़ा सड़क की लम्बाई 7.500 कि0 मी0 बनती है। जिसमें 0.500 कि0मी0 निजी भूमि तथा 7.000 कि0मी0 वन भूमि आती है। उक्त सड़क के लिए विभाग के पास कोई बजट प्रावधान नहीं है और न ही उक्त सड़क किसी भी योजना में स्वीकृत है। योजना स्वीकृत होने व बजट प्रावधान होने पर ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

<u>ग्रामीण विकास,पंचायती राज</u> :– ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत करवाया है कि खण्ड विकास अधिकारी, भटियात जिला चम्बा से प्राप्त सूचना के अनुसार जनजातीय सामुदायिक भवन गदन टप्पा ग्राम पंचायत टिक्करी, गुआनी ग्राम पंचायत तुरकड़ा तथा बलेरा ग्राम पंचायत बलेरा के कार्य को वर्ष 2020–21 की मनरेगा शैल्फ में सम्मिलित कर दिया गया है।

<u>उपायुक्त चम्बा</u> :–**<u>(क)</u>** उपायुक्त चम्बा ने अवगत करवाया है कि प्रस्तावित कार्यों का प्राकलन विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अर्न्तगत धन स्वीकृति हेतु खण्ड विकास अधिकारी भटियात से मंगवाये गऐ है, जो कि अभी प्राप्त नहीं हुए है प्राप्त होने पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(ख) उपायुक्त चम्बा ने अवगत करवाया है कि निर्माण सड़क छतरार नाग से छींटगली ग्राम पंचायत सुरपडा हेतु विभाग के पास बजट

प्रावधान नहीं होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका अतः बजट प्रावधान होने पर ही आगामी कार्यावाही अमल में लाई जा सकती हैं।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>**

16. जन जातीय क्षेत्र भरमौर की ग्राम पंचायत कुगति में BSNL एवं Jio का मोबाईल टावर लगाने बारे।

ग्राम पंचायत कुगति ब्लॉक भरमौर की 29 पंचायतों में ऐसी एक पंचायत है जहां नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है। जिससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रधान मन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि हर गांव को नेटवर्क से जोड़ना है।

तारा चन्द,कुगति,भरमौर,चम्बा
सामान्य प्रशासन,सूचना एवं
प्रोद्यौगिकी,दूरसंचार,

विभागीय उत्तरः–

<u>सूचना एवं प्रोद्यौगिकीः–</u>ग्राम पंचायत कुगति ब्लॉक भरमौर जिला चम्बा में भारत सरकार की Bharat Net चरण–II परियोजना के तहत high speed Telecom connectivity मुहैया करवाने के लिये VSAT लगाना प्रस्तावित किया गया है जिसका कार्य प्रगति पर है।

(क) M/s Bharat Sanchar Nigam Ltd. से प्राप्त टेलिफोनिक जानकरी के अनुसार , BSNL की भरमौर में कुगती ग्राम पंचायत में कोई कवरेज नहीं है और आगे बीएसएनएल के पास भविष्य में उक्त क्षेत्र में कवरेज बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

इसके अलावा, M/s Reliance Jio information Ltd. ने सूचित किया है कि उन्होंने साइट अधिग्रहण / पहचान पूरी कर ली है। हालांकि , निर्माण कार्य लंबित है और इसे 5–6 महीने में पूरा किया जाना है।

(ख) M/s Bharat Sanchar Nigam Ltd. से प्राप्त टेलिफोनिक जानकरी के अनुसार , बीएसएनएल की भरमौर में वजोल ग्राम पंचायत में कोई कवरेज नहीं है और आगे बीएसएनएल के पास भविष्य में उक्त क्षेत्र में कवरेज बठाने की कोई योजना नहीं है।

इसके अलावा, M/s Reliance Jio information Ltd. ने सूचित किया है कि उन्होंने साइट अधिग्रहण / पहचान पूरी कर ली है।

हालांकि , निर्माण कार्य लंबित है और इसे 5–6 महीने में पूरा किया जाना है।

<u>सामान्य प्रशासन</u> :– अवर सचिव सामान्य प्रशासन हिमाचल प्रदेश सरकार ने उक्त मद के बारे में अवगत करवाया है कि उक्त मद के बारे में उनके विभाग से सूचना शुन्य समझी जाये।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।</u>**

17. विद्युत आपूर्ति की सप्लाई ठीक ढंग से करवाने बारे।

सर्दियों के दिनों में भारी बर्फवारी होने से हमें विद्युत सेवा ठीक से नहीं मिलती जिससे 3–4 महीने हमें अन्धेरे में गुजारने पड़ते है बिजली के खम्बे बहुत दूरी पर लगे है जो सर्दियों व बरसात के मौसम में गिर जाते हैं और बिजली गुल हो जाती है । मार्च माह परिक्षाओं का महीना होता है परन्तु बिजली न होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है। विभाग से अगर बात करें तो विभाग बजट न होने की दुहाई देता है।

तारा चन्द, कुगति, भरमौर, चम्बा
विद्युत विभाग

विभागीय उत्तरः–

<u>विद्युत</u> :– यह क्षेत्र विद्युत उपमण्डल भरमौर के अन्तर्गत आता है। इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति अन्य क्षेत्रों से बहुत ही कठोर है। वर्ष 2018–19 में एच0टी0 और एल0टी0 लाईन की मुरममत व सुदृढीकरण का कार्य कर दिया गया है। इस क्षेत्र में दिसम्बर से फरवरी महीने तक अत्यधिक बर्फवारी के कारण विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई थी। विभाग द्वारा इस क्षेत्र में निरन्तर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिये हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा भविष्य में इस क्षेत्र में विद्युत बहाली की बेहतर सुविधा के लिए विभाग प्रयासरत है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।</u>**

18. कुगती पास में बंकर बनाने बारे।

कुगति पास से हजारो गद्दी व लाहौल के गद्दी आते जाते रहते हैं वहां पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः वहां पर बंकर का निर्माण करवाया जाये।

करतार सिंह,चलेड,भरमौर,चम्बा
उपायुक्त चम्बा

उपायुक्त चम्बाः— उपायुक्त चम्बा ने अवगत करवाया है कि वन मण्डलाधिकारी चम्बा से प्राप्त सुचना के अनुसार मान्नीय उच्चतम न्यायलय के दिशा निर्देश के अनुसार शरण्य स्थल में स्थानीय लोगों व घुमन्तु गद्दियों के लिये बंकर बनाने का प्रावधान नहीं है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>**

19. कुठेहड़ पाल मन्दिर,कुकड़ कडा व मुमर धार में सोलर लाईटें लगाने बारे। कुठेहड़ पाल मन्दिर,कुकड़ कडा व मुमर धार में सोलर लाईटें लगवाने की कृपा करें।

करतार सिंह,चलेड,भरमौर,चम्बा
हिमऊर्जा विभाग

<u>विभागीय उत्तरः</u>— हिमऊर्जा के पास किसी भी समुदाय को सोलर लाईटें उपलब्ध करवाने हेतु धन का कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः जन जातीय विकास विभाग या सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से हिमऊर्जा को धनराशि उपलब्ध करवा दी जाती है तो माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाईटें लगाने का कार्य किया जा सकता है। विभिन्न माडलों हेतू प्रति सोलर स्ट्रीट लाईट की कीमत निम्न से हैः—

क0 सं0	विवरण	एल0एम0एल0एसिड बैटरी के साथ मूल्य (रूपये)	टैवूलर पालिटीव जैल बैटरी के साथ मूल्य(रूपये)
1.	सोलर स्ट्रीट लाईट (एल0ई0डी0 7 वाट—माडल ए)	14261/—	15889/—
2	सोलर स्ट्रीट लाईट (एल0ई0डी0 9 वाट—माडल वी)	16405/—	17883/—
3	सोलर स्ट्रीट लाईट (एल0ई0डी0 12 वाट—माडल सी)	18438/—	20705/—
4	सोलर स्ट्रीट लाईट (एल0ई0डी0 15 वाट—माडल डी)	20475/—	23373/—
5	सोलर स्ट्रीट लाईट	21945/—	25095/—

	(एल0ई0डी0 वाट–माडल ई) 18		
6	सोलर स्ट्रीट लाईट (एल0ई0डी0 वाट–माडल ए–1 7	15656/–रूपये लीथीमिआयन/लीथीमफैरो फॉस्फेट बैटरी के साथ मूल्य	

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

20. धार पटेहडू ग्राम पंचायत तुदाह में सराय भवन/ग्राम पंचायत तुदाह व बड़ग्राम पंचायत के पंजारी नामक नाले में फुटपाथ पुल बनाने एवं बन्दूकों के लाईसैंस फीस कम करने बारे।

धार पटेहडू ग्राम पंचायत तुदाह में सराय भवन बनबाने की कृपा करें।

ग्राम पंचायत तुदाह व बड़ग्राम पंचायत के पंजारी नामक नाले में फुटपाथ पुल बनाना अतिआवश्यक है। बन्दूकों के लाईसैंस की बढ़ाई गई फीस को कम करने की कृपा करें।

देवराज शर्मा,तुदाह,भरमौर चम्बा
उपायुक्त चम्बा/उपायुक्त कांगड़ा

उपायुक्त कांगड़ाः– अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा स्थित धर्मशाला ने अवगत करवाया है कि शस्त्र लाइसेंसौं के नवीनीकरण शुल्क में छूट के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मामला उठाया गया तथा केन्द्र सरकार शस्त्र नियम 2016, 27 के नियम (3)के अन्तर्गत फीस कम करने बारे कोई आदेश में छूट का उल्लेख कर सकती है । लेकिन वर्तमान में ऐसा केंन्द्र सरकार द्वारा कोई भी विशेष आदेश जारी नहीं किया गया है जिसके अंतर्गत इनको बन्दुकों के लाइसेंस जारी करने में छूट प्रदान की जा सके।

उपायुक्त चम्बाः– (क) उपायुक्त चम्बा ने अवगत करवाया है कि धार पटेहडू ग्राम पंचायत तुदाह/शरण्य स्थल में आती है तथा शरण्य स्थल में सराय इत्यादि बनाने का प्रावधान नहीं है।

(ख) उपायुक्त चम्बा ने अवगत करवाया है कि पंजारी नामक नाले से फुटपाथ पुल का निर्माण करने के लिए अनुमानित 5.00 लाख रुपये की लागत आयेगी अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त राशि को मन्जूर करने की कृपा करें ताकि उपरोक्त फुटपाथ पुल का निर्माण शीध्र करवाया जा सके।

(ग) उपायुक्त चम्बा ने अवगत करवाया है कि बन्दूको के लाईसैंस की बढाई गई फीस को कम करने का मामला प्रदेश सरकार से सम्बन्धित है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>**

21. गांव भदरोया बार्ड न0 10 एस0 टी0 मोहल्ला से नील कण्ठ महादेव मन्दिर तक एक कि0मी0 पक्का रास्ता बनाने बारे।

गांव भदरोया बार्ड न0 10 एस0 टी0 मोहल्ला जो कि दशकों से पक्के रास्ते के लिए प्रतिक्षारत है। अतः सुरेश प्रधान के घर से लेकर नीलकंठ महादेव मन्दिर तक 1 कि0 मी0 पक्का रास्ता बनाने की कृपा करें।

सरदारी लाल,भदरोया,गंगथ कांगड़ा

ग्रामीण विकास, लोक निर्माण,उपायुक्त कांगड़ा

विभागीय उत्तरः–

<u>ग्रामीण विकास,पंचायती राज</u> :– सयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत करवाया है कि खण्ड विकास अधिकारी, इन्दौरा जिला कांगडा से प्राप्त सूचना के अनुसार इस मद में पक्का रास्ता लगभग 400 मीटर बना दिया गया है।

<u>लोक निर्माण विभागः–</u> विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि यह सडक भदरोया से जंगल थपकौर सडक के कि.मी. 0/200 से शुरु होती है। इस सडक को बनाने के लिए अभी तक कोई भी धन राशि इस विभाग के पास नही है और न ही यह सडक अभी तक बजट बुक में शामिल है। इस सडक को बनाने के लिए लगभग 35–40 लाख रुपये की आवश्यकता होगी जिस की उपलब्धता होने पर ही इस सडक का निर्माण किया जा सकता है।

<u>उपायुक्त कांगड़ाः–</u> अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा स्थित धर्म''ाला ने अवगत करवाया है किः–

1. इस बारे जिला योजना अधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी इन्दौरा को निर्देश दिए है कि उपरोक्त रास्ता निर्माण बारे आव''यक औपचारिकताऐं पूर्ण करने उपरान्त प्रस्ताव प्राक्कलन सहित मांगा है।
2. इस बारे खण्ड विकास अधिकारी इन्दौरा ने सम्बन्धित कार्य को मनरेगा सैल्फ में डलवाकर आवश्यक कार्यवाई करने बारे लिखा है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>**

22. गांव जंगल थपकौर पंचायत गगवाल में सिंचाई हेतु टयूबवैल लगवाने बारे।

गांव जंगल थपकौर पंचायत गगवाल में सिंचाई हेतु टयूबवैल की मांग चिरकाल से है कृप्या इस समस्या का समाधान करवाने की कृपा करें।

सरदारी लाल, भदरोया, गंगथ कांगड़ा

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

विभागीय उत्तरः–

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य :–गांव जंगल थपकौर पंचायत गगवाल में सिंचाई हेतु कम पानी के कारण सतही जल में योजना बनाने की कोई गुंजाईश नहीं है हालांकि नवीनतम भूजल आकलन अध्ययन के अनुसार इंदौरा घाटी,अधिक भूजल दोहन शोषित श्रेणी में आता है जहां पर सिंचाई योजना के निर्माण के लिए नलकूप लगाना तर्कसंगत नहीं है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

23. पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में सी0सी0 टी0 वी0 कैमरे व बायोमैट्रिक प्रणाली में उपस्थिति दर्ज करना।

यह सर्वज्ञातव्य है कि विभिन्न जन –जातियों, जिस में गददी समुदाय भी शामिल है,प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। पहाड़ों में पंचायतें प्रायः विस्तृत क्षेत्रों वाली होती है। जहां एक पक्षी उड़ कर पांच मिनट में दूसरे गांव में पंहुच जाता है वहां आदमी को प्रायः पंहुंचने में एक दिन लग जाता है। ऐसे में अगर दूर–दराज से आए लोगों को पंचायती राज सम्बन्धी कर्मचारी कार्यालय में अनाद्यिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हों तो लोगो का कितना समय एवं व्यर्थ की हानि होती है यह समझा जा सकता है। इस से निम्नलिखित सुधार हो सकते है।

1) पंचायती राज कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित होगी।

2) पंचायत के कार्य करवाने सम्बंधी लोगों की कई समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा।

3) पंचायती राज से जुड़े कर्मचारी एवं चुने हुए पदाधिकारी अनुशासित होंगे परिणामस्वरूप विकासात्मक कार्य को उच्चतर गति मिलेगी।

4) बैठकों में पंचायती राज कर्मचारियों व चुने हुए पदाधिकारियों की कामचोरी व मनमानी पर अंकुश लगेगा। जिससे वांछित कार्य होने की सम्भावना बलवती होगी जिसे जनता जनार्दन चाहती है। क्योंकि वर्तमान में पंचायती राज कर्मचारी कभी–कभी अपनी मनमानी करते हुए उन मुददों को कार्यवाही में नहीं डालते हैं जिन्हें जनता महत्वपूर्ण मानती है परन्तु कर्मचारी अपनी कामचोरी की आदत से उन्हें कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज ही नहीं करते। कभी–कभी कर्मचारी एवं चुने हुए कुछ

पंचायती राज पदाधिकारी अपने हित साधने हेतु ऐसे मुददे कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज कर देते है जो जनता के लिए या तो कम प्रासंगिक होते हैं अथवा होते ही नहीं तथा उन्हें जनता के ध्यान में लाए बिना ही दर्ज कर लिया जाता है जिससे निकाय को आर्थिक हानि होती है। यह विसंगतियां उपरोक्त उपाय से दूर हो सकती है।

5) पंचायती राज की अवधारणा यह है कि ग्रामीण–जनसाधारण की छोटी–मोटी समस्याओं का निवारण पंचायती स्तर पर हो तथा उन्हें न्याय मिले लेकिन वर्तमान व्यवस्था में पंचायती राज कर्मचारियों की अनाधिकृत अवकाश की प्रवृति तथा मनमानी से इस प्रतियोगिता के युग में समस्या और विकराल रूप धारण कर रही है। उपरोक्त उपाय से इन सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है।

सोहन लाल,बजोल ,भरमौर, चम्बा
पंचायती राज विभाग

विभागीय उत्तरः–

<u>पंचायती राजः</u>–पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदेश के तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में सीसीटीवी कैमरे व बायोमिट्रिक मशीने लगाने सम्बन्धी अभी तक विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही वित्तीय वर्ष में इस परियोजना हेतु कोई बजट प्रावधान रखा गया है।

जिला पंचायत अधिकारी चम्बा ने अवगत करवाया है कि जिला चम्बा के विकास खण्ड सलूणी, मैहला व भरमौर को छोड कर अन्य सभी विकास खण्डों में खण्ड स्तर पर / पंचायत स्तर पर सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरे स्थापित कर दिए हैं। परन्तु ग्राम पंचायतों में बायोमिट्रिक मशीन लगाने हेतु बजट प्रावधान नहीं है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>**

24 पांच मैगावॉट तक की पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण में पंचायती राज संस्थाओं को वरीयता देने बारे।

आर्थिक मंदी के इस युग में पंचायतों का अपने स्तर पर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना अब अति आवश्यक हो गया है। सुविधाओं की कमी के कारण गांव को छोड़ कर लोगों का शहर को पलायन करना एक समस्या बन गया है।गांवों में बेराजगारी बढ़ रही है। कुछ पंचायतें विशेष रूप से जनजातीय पंचायतें जिसमें गददी– जनजातीय समुदाय से सम्बन्धित पंचायतें भी शामिल हैं सरकार के लिए सफेद हाथी साबित हो रही हैं क्योंकि उनकी अपनी आमदनी लगभग शुन्य है। पहाड़ी क्षेत्र एवं विस्तृत क्षेत्र वाली पंचायतें होने के कारण प्रायः पंचायतें न तो मेलों का आयोजन कर पाती और न ही कोई अन्य आयोजन। यहां तक की विस्तृत क्षेत्र होने के कारण लोग चुल्हा कर भी उस समय जमा करवाते हैं जब राशन कार्ड बनवाना होता है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहां छोटे–छोटे नदी –नाले प्रचुर मात्रा में है जिनमें पन बिजली परियोनाओं की अपार सम्भावनाएं है। ऐसे में यदि 5 मैगावॉट तक की या उस क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद,पंचायती राज,निकाय अपनी आमदनी बढ़ाने की इच्छा से उक्त पन बिजली परियोजनाओं (पांच मैगावॉट तक की या उससे कम के कार्य अपने हाथ में लेना चाहे तो उसे वरीयता दी जाए। इससे निम्नलिखित लोगों की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैः–1)पंचायती राज संस्थाओं की आमदनी में स्थाई वृद्धि हो सकती है।2) स्थानीय लागों को योग्यता अनुसार रोजगार मिल सकता है। 3) आमदनी या आय बढ़ने से क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा। 4)स्थानीय निकाय की सरकार पर निर्भरता कम होगी। 5) स्थानीय निकाय की आय बढ़ने से स्थानीय निकाय अपनी आय बढ़ाने के अन्य उपाय और भी अमल में ला सकता है।स्थानीय पंचायती राज निकाय अपनी आय बढ़ाने हेतु उक्त कार्य अपने हाथ में लेना चाहता है तो उसे अवसर प्रदान करना चाहिए उक्त कार्य करना पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि उन सम्भावनाओं से उस क्षेत्र के निकायों को लाभ मिले जहां ऐसी सम्भावनाएं विद्यमान है।

सोहन लाल,बजोल ,भरमौर, चम्बा

पंचायती राज/शहरी विकास

विभाग/श्रम एवं रोजगार/अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत

विभागीय उत्तरः–

<u>श्रम एवं रोजगारः</u>–रोजगार विभाग नियोक्ता द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर साक्षात्कार हेतु नामों का सम्प्रेषण करता है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने हेतू विभाग द्वारा समय–समय पर रोजगार मेलों का

आयोजन तथा campus interviews करवाये जाते है जिससे निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को बुलाया जाता है।

शहरी विकासः—इस सन्दर्भ में प्रस्तुत किया जाता है कि शहरी स्थानीय निकाय इन परियोजनाओं को चलाने हेतु इच्छित नहीं है।

पंचायती राजः— इस मद के सम्बन्ध में पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप संवैधानिक दर्जा प्राप्त है तथा यह संस्थाएं स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करती हैं। पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण हेतु वे स्वतन्त्र है यदि उनकी वित्तीय स्थिति इन परियोजनाओं की लागत के वहन करने के अनुरूप हो। वर्तमान में प्रदेश में पंचायतों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण की लागत को वहन कर सके। यदि राज्य सरकार पंचायतों को इस प्रकार की आमदनी को बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिये अनुदान व ऋण प्रदान करे तो ऐसा सम्भव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त इस मामले में हिम ऊर्जा विभाग द्वारा अपनी नीति में यह प्रावधान करना होगा कि पंचायती राज संस्थाएं भी पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिये पात्र होंगी।

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतः— 5 मैगावॉट तक क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं में पंचायती राज संस्थानों को वरियता देना एक नीतिगत मामला है तथा सरकार की स्वीकृति उपरान्त ही इसे अमल में लाया जा सकता है। मामला सरकार से उठाया जाएगा तथापि 100 किलोवॉट तक क्षमता की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं में पंचायती राज संस्थानों (पंचायतों) को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं को स्थापित करने वाले निजी निवेशकों से जो रॉयल्टी प्राप्त होगी वह भी पंचायती राज संस्थानों के बैंक खातों में जाएगी।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

25. आर्थिक रूप से पिछड़े एवं निर्धन परिवारों को आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने बारे।

आर्थिक रूप से पिछड़े एवं निर्धन परिवारों को आवास योजनाओं के अधीन घर बनाने के लिये दी जाने वाली आर्थिक सहायता जन जातीय परिवारों को लम्बे समय तक प्रतीक्षा करने पर भी नहीं मिल पाती। जिला कांगड़ा में इस योजना के अधीन सैंकड़ो आवेदन जनजातीय आवेदकों के लम्बित पड़े हुए हैं पता करने पर अधिकारियों द्वारा बजट प्रावधान बहुत ही कम होना मजबूरी में बिलम्ब का कारण बताया जाता है, जिला कांगड़ा के जनजातीय

वर्ग के लिये अधिक धन उपलब्ध करवाया जाए ताकि सैकड़ों लम्बित आवेदक आवास योजना के अधीन लाभान्वित हो सके।

जरासंध, मझग्रां, द्रमण, कांगड़ा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

विभागीय उत्तरः–

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिताः–जिला कल्याण अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला से उनके कार्यालय पत्र दिनांक 04–11–2019 के अनुसार वर्तमान में जिला कांगड़ा में अनुसूचित जनजाति के 919 आवेदन पत्र लम्बित हैं। वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतू मु0 31,49,000/–रू0 का बजट प्रावधान है, जिसमें 24 मामले नवनिर्माण व 1 मुरम्मत हेतु (कुल 25) मामलों को स्वीकृती प्रदान की जाएगी। जिला कल्याण अधिकारी कांगड़ा से अतिरिक्त बजट की मांग करने पर अतिरिक्त बजट आबंटन बारे उचित कार्यवाही की जायेगी।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

26 गद्दी बहुल की सभी पंचायतों को अलग–अलग बजट प्रावधान करने बारे।

जिला कांगड़ा की जिन पंचायतों में गद्दी जन जातीय छोटे–छोटे गांव हैं तथा छिटकी हुई बस्तियां हैं साधारण विकास कार्यक्रमों में पीछे रह जाती है। अतः ऐसी सारी पंचायतों को अलग–अलग जन जातीय विकास बजट रखा जाए ताकि जन जातीय लोगों का विकास तेज गति से सम्भव हो सके।

जरासंध, मझग्रां, द्रमण,कांगड़ा
जन जातीय विकास/ग्रामीण विकास/उपायुक्त कांगड़ा

विभागीय उत्तरः–

जन जातीय विकासः–जन जातीय क्षेत्रों से बाहर रह रही अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जिसमें गद्दी समुदाय भी शामिल है को लाभान्वित करने के लिये केन्द्रीय सहायता व संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि में से बजट आबंटित किया जाता है जो कि गैर जनजातीय क्षेत्रों में चल रही प्रदेश की सामान्य योजना और विशेष घटक योजना में विभिन्न स्कीमों में प्रदान की जा रही बजट राशि के अतिरिक्त है।

इसके अतिरिक्त गैर जन जातीय क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य

विकास बजट का 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त बजट आबंटन करने हेतु मामला समय–समय पर वित्त एवं योजना विभाग से उठाया गया है परन्तु अभी तक वित/योजना विभाग द्वारा इस मत से सहमति व्यक्त नहीं की है ।

ग्रामीण विकास,पंचायती राज :– संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत करवाया है कि अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा से प्राप्त सूचना के अनुसार इस मामले बारे जनजातीय उपयोजना के तहत अलग धनराशि के आबंटन हेतु संयुक्त निदेशक (ज0 जा0 वि0) हिमाचल प्रदेश सरकार से उठाया गया है।

- **उपायुक्त कांगड़ा**:–उपायुक्त कांगडा ने अवगत करवाया है कि इस मद के संबंध में जिला योजना अधिकारी कांगडा स्थित धर्मशाला द्वारा इस बारे संयुक्त निदेशक(ज0 जा0 वि0) हिमाचल प्रदेश शिमला को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि जन जातीय उपयोजना के अंतर्गत इन पंचायतों को विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु धनराशि का आवंटन किया जाए।
- **उपरोक्त विभाग एवं वित्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे**

27. ग्राम पंचायत के गांव लुहारका,चलोग,अमलौथा,ठेहडू एवं मौआ में बिजली का ट्रांसफार्मर लगवाने बारे।

ग्राम पंचायत के गांव लुहारका,चलोग,अमलौथा,ठेहडू एवं मौआ में बिजली की बहुत कम वॉलटेज है जिसके लिये ट्रांसफार्मर लगवाने की कृपा करें।

श्याम कुमार,किलोड़,मैहला, धरवास, चम्बा
विद्युत विभाग/उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

विद्युत विभाग:– वर्तमान में गांव लुहारका, चलोग, अमलौथा, ठेहडू एवं मौआ में 100 के0 वी0 ए0 क्षमता के ट्रांसफार्मर Gan–1 से लगभग 1.5 कि0मी0 एल0टी0 लाईन के द्वारा बिजली प्राप्त कर रहे हैं। इन गांवों में वॉल्टेज की समस्या का हल करने के लिये 11/0.04 के0वी0 25 के0वी0ए0क्षमता का ट्रांसफार्मर हंडेरा गांव में लगाने के लिये प्राक्कलन टी0एस0 संख्याः 282/19–20 के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। जिसका कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

उपायुक्त चम्बा:– उपायुक्त चम्बा ने अवगत करवाया है कि विद्युत मंडल चम्बा द्वारा उप मंण्डल राख के अधिन आने वाले गांव लुहारका, चलोग, अमलौथा, ठेहडू एवं मौआ में बिजली की कम वाल्टेजकी समस्या को दूर करने के लिये हुंडेरा में 11/0.4 KV , 25 KVA का नाम सब स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नयी एच– टी लाइन एवं एल –टी लाइन बनाने का प्रावधान इस मण्डल द्वारा रखा गया

है। इन कार्यों को करवाने का प्राक्लन भी टी – एस– न0– 282/2019–20, 284/2019–20 एवं 285/2019–20 के द्वारा सैंक्शन भी कर दिया गया है कार्यों को करवाने के लिय जरुरी सामग्री की उपलब्धता पर कार्य को शीध्र अति शीध्र करवा दिया जायेगा।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>**

28 प्रारम्भिक स्कूल मामल के बच्चों या आम जनता के लिये लारखा नाला स्थान पर पुली बनाने बारे।

प्रारम्भिक स्कूल मामल के बच्चों या आम जनता के लिये लारखा नाला स्थान में आर पार तथा बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है जिसके बीच में नाला पड़ता है। जिसे पार करना बहुत ही कठिन है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस नाले पर पुली का निर्माण करवाने की कृपा करें।

श्यामकुमार,किलोड़,मैहला, धरवास,चम्बा
ग्रामीण विकास/उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

<u>ग्रामीण विकास,पंचायती राज</u> :– संयुक्त निदेशक ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत करवाया है कि खण्ड विकास अधिकारी मैहला जिला चम्बा द्वारा इस कार्य के लिए मु0 5,000,00/–(पांच लाख) का प्राक्कलन तैयार करके स्वीकृति हेतु उपायुक्त चम्बा को दिनांक 10.7.2020 को प्रस्तुत किया गया है।

<u>उपायुक्त चम्बाः–</u> उपायुक्त चम्बा ने अवगत करवाया है कि इस कार्य को मनरेगा के अर्न्तगत करवाने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देश जारी किऐ गऐ है।

<u>विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।</u>

29 गांव डिभर को भूमि कटाव के कारण खार लगने से खतरा होने के कारण केट वॉल लगाने बारे।

गांव डिभर को भूमि कटाव के कारण बरसात के दिनों में काफी नुकसान हो रहा है जिसके कटाव होने के कारण गांव को खतरा हो गया है इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

श्याम कुमार, किलोड़, मैहला, धरवास,चम्बा
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/उपायुक्त चम्बा

विभागीय उत्तरः–

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्यः—गांव डिभर में न कोई नाला है और न ही खेत खलियानों की भूमि में कटाव हो रहा है जिसके लिए विभाग द्वारा फल्ड (Flood) प्रोटैक्शन कार्य करवाया जाए परन्तु जो मांग की जा रही है यह पहाड़ से लैंड–स्लाईड की रोकथाम हेतु है विभाग के पास ऐसे कार्य के लिए कोई भी वित्तीय प्रावधान नहीं है।

उपायुक्त चम्बाः— उपायुक्त चम्बा ने अवगत करवाया है कि इस कार्य को मनरेगा के अर्न्तगत करवाने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देश जारी किऐ गऐ हैं।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।**

30 गददियों को भेड़ बकरियों का मुआवजा समय पर देने बारे।

गददियों को जो मुआवजा भेड़ बकरियों का मिलता है बहुत कम है और काफी समय पश्चात दिया जाता है। यह मुआवजा मार्किट रेट पर शीघ्रातिशीघ्र दिया जाना चाहिए।

कैप्टन प्रशोतम चन्द,दाड़नू धर्मशाला कांगड़ा
पशुपालन/वन/राजस्व विभाग

विभागीय उत्तर

पशुपालनः— गद्दियों को जो मुआवजा भेड़ बकरियों का मिलता है वह वन / राजस्व विभाग से संबंधित है।

राजस्व विभागः— राजस्व विभाग ने अवगत करवाया है कि प्राकृतिक आपदा से पशुओं की मृत्यु हो जाने पर हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन एवं राहत नियमावली –2012 तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों / मानकों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है व किसी भी प्रकार की पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त नियमावली के अनुसार पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही सहायता राशि प्रदान की जाती है । कई बार प्रार्थी द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने में बिलम्ब हो जाता है जिस कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रकरण निपटाने में विलम्ब हो जाता है।

- **वन विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।**
- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

31 भेड़ बकरियों को गम्भीर बीमारी के उपचार के दौरान Mobile Unit का प्रावधान करने बारे।

जब भी भेड़ बकरियों को भयंकर बीमारी लग जाती है जब वह पहाड़ों पर होते हैं या जंगलों में होते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र उपचार के लिये Mobile Unit का प्रावधान जरूरी है।

कैप्टन प्रशोतम चन्द,दाड़नू धर्मशाला कांगड़ा
पशुपालन विभाग

विभागीय उत्तरः–

पशुपालनः– पशुपालन विभाग के अधीनस्थ जिला कार्यालय उप निदेशक पशु स्वास्थ्य/प्रजनन द्वारा आउट ब्रैक के दौरान मोबाईल यूनिट के माध्यम से विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति उपरान्त जानवरों का इलाज करवाया जाता है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

32 राजस्व रिकार्ड में मालिकाना हक दर्ज करवाने बारे।

भेड़ बकरी व पशुधन वन भूमि में पूर्वजों के समय से (गोद) कोटे होते हैं जो चरागाह होते हैं उन का इन्द्राज कहीं भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज न है जहां पर हमारा पुशतैनी कब्जा चला आ रहा है। अतः कानून के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बतौर मालिकाना हक हकूक दर्ज होने चाहिए।

कैप्टन प्रशोतम चन्द,दाड़नू धर्मशाला कांगड़ा
राजस्व विभाग/उपायुक्त कांगड़ा

विभागीय उत्तरः–

राजस्व विभागः– राजस्व विभाग के माध्यम से अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा स्थित धर्मशाला ने अवगत करवाया है कि इस समुदाय के लोगों का राजस्व रिकार्ड में बतौर मालिकाना हक हकूक दर्ज किये जाने बारे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिसके आधार पर इस समुदाय के लोगों का राजस्व रिकार्ड में बतौर मालिकाना हक हकूक दर्ज किया जाए।

उपायुक्त कांगडाः–उपायुक्त कांगडा ने अवगत करवाया है कि उक्त मद बारे सूचना राजस्व अधिकारी कांगडा स्थित धर्मशाला से ली गई। रिपोर्ट में पाया गया कि इस समुदाय के लोगों का राजस्व रिकार्ड में बतौर मालिकाना हक हकूक दर्ज किये जाने बारे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा

ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिसके आधार पर इस समुदाय के लोगों का राजस्व रिकार्ड में बतौर मालिकाना हक हकूक दर्ज किया जाए।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।</u>**

33 ग्राम पंचायत प्रीणा के छतकड़ ढारा नामक स्थान पर माध्यमिक पाठशाला खोलने बारे।

ग्राम पंचायत प्रीणा के गांव सक्रैणा–1, सक्रैणा–11, छतकड़, ढांगू, डिगेड, रावा, उलैणी, कईगा, धार आदि गांव जनजातीय बाहुल गांव है, इन गांवों में गद्दी समुदाय तथा गुज्जर परिवार बसर करते हैं। लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि, भेड़ पालन,पशुधन इत्यादि हैं, आज इन गांवों की साक्षरता दर 20 प्रतिशत के लगभग है, कारण यह है कि भौगौलिक दृष्टि से गांव काफी पिछड़े सड़क सुविधा से वंचित आने जाने के रास्तों की खस्ता हालत स्कूल की आना जाना लगभग 18–20 किलोमीटर बच्चों का पहाड़ से उतरना चढ़ना भारी मुश्किल भरा तथा खतरे से खाली नहीं है, इसलिये महोदय जी से प्रार्थना है कि इन गांवों के मध्यम में स्थान छतकड ढारा में एक माध्यमिक पाठशाला खुलना अत्यन्त आवश्यक है जिससे क्षेत्र के जनजाति लोगों गद्दी –गुज्जरों के बच्चों को इसका लाभ मिल सके।

विनोद कुमार,प्रीणा,चम्बा
प्रारम्भिक शिक्षा

विभागीय उत्तरः–

प्रारम्भिक शिक्षाः– इस प्रसंग में उप– निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा चम्बा से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार ग्राम पंचायत प्रीणा के छतकड ढारा नामक स्थान पर कोई भी स्कूल नहीं है तथा ग्राम पंचायत प्रीणा के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला सक्रैणा –2 है, जिसमें पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या फीडिंग स्कूलों को मिला कर 18 है। आर. टी. ई. नार्म्स (Norms)के अनुसार फीडिंग स्कूल के साथ प्रस्तावित पाठशाला में पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 25 होनी चाहिए। अतः राजकीय प्राथमिक पाठशाला सक्रैणा –2 आर. टी. ई. नार्म्स (Norms) को पूरा नही करता है। यहां यह भी उल्लिखित है कि आर. टी. ई. नार्म्स (Norms)के अनुसार माध्यमिक पाठशाला को सीधे तौर पर खोला नही जा सकता। यह केवल राजकीय प्राथमिक पाठशाला से राजकीय माध्यमिक पाठशाला के स्तर पर स्तरोन्नत किया जाता है।

- <u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।</u>

34 राजकीय उच्च पाठशाला अननेहर का दर्जा बढ़ाकर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने बारे।

महोदय जी राजकीय उच्च पाठशाला अननेहर का दर्जा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किया जाना छात्रहित में अति आवश्यक है क्योंकि क्षेत्र के छात्र छात्राओं की 10+2 की शिक्षा ग्रहण करने के लिये रोज कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है इतना लम्बा सफर बच्चे रोज तय करते हैं तो उनकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ता होगा। महोदय, आप खुद समझ सकते है यह क्षेत्र भी जनजाति बाहुल क्षेत्र है इस पाठशाला के अधीन रैणा, गांण, सैंत, घटनाली, अननेहर, चुहाड़ी, ढांगू, सक्रेणा, छतकड़, रावा, कुईग, उलैणी, हण्डौर, दुरील,बनेई,डिगेड आदि गांव पड़ते हैं भौगौलिक दृष्टि से समुचा क्षेत्र अति दुर्गम है। आवागमन की स्थिति दयनीय है बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विषम जोखिम उठाना पड़ता है। उपरोक्त स्कूल का दर्जा अवश्यमेव वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अननेहर करने की अनुकम्पा करें ताकि बच्चे सुगमता से शिक्षा ग्रहण कर सकें और क्षेत्र से अशिक्षा का अन्धकार दूर किया जा सके।

विनोद कुमार,प्रीणा,चम्बा
उच्च शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा

विभागीय उत्तरः–

<u>उच्च शिक्षाः–</u> राजकीय उच्च पाठशाला अननेहर का दर्जा बढ़ाकर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने बारे उप–शिक्षा निदेशक,जिला चम्बा से प्रस्तावना सूचना प्राप्त हुई है जिसके अनुसार वर्तमान में राजकीय उच्च पाठशाला अननेहर में दसवीं कक्षा में छात्रों की संख्या 33 है तथा नजदीकी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लिल्ह की दूरी 05 कि0मी0 है। अतः यह पाठशाला स्तरोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करती है। अतः उपरोक्त सूचना इस निदेशालय के पत्र संख्याः–EDN-HE(6)1-4/2019-20(Proposal to Govt.) दिनांक 15–02–2020 द्वारा सरकार को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है।

- <u>प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</u>
- <u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>

35 प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अननेहर सक्रैण तक सड़क निर्माण बारे।

अननेहर से सक्रैणा तक सड़क निर्माण करना परम आवश्यक है इस सड़क के माध्यम से उलैणी, रावा, गांण, सैंत, घटनाली, ढांगू, छतकड़, डिगेड आदि गांवों को काफी लाभ होगा इस क्षेत्र के लोग खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं मुख्यतः आलू,मटर हरी सब्जियां आदि की खेती की जाती है किसानों को काफी पैसा ढुलान के लिये देना पड़ता है जिससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान होता है अगर उपरोक्त सड़क का निर्माण हो जाता है तो इसका सीधा लाभ किसानों–बागवानों तथा छात्रों को मिलेगा।समूचा क्षेत्र कृषि,शिक्षा,स्वास्थ्य,तथा आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ेगा। उपरोक्त जनजातीय गांवों में विकास का नया सवेरा होगा लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे, क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात होगा।

विनोद कुमार,प्रीणा,चम्बा
लोक निर्माण विभाग

विभागीय उत्तरः–

लोक निर्माण विभागः– विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि उलैणी,रावा, गांण ,सैंत, घटनाली, ढांगू, छतकड, डिगेड आदि गांवों को सडक सुविधा से जोडने के लिये चुडी गरोंडी सडक प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत (भाग लिल्ह से परीना) प्रस्तावित थी, परन्तु 2. 800 कि0 मी0 पर कोर्ट स्टे के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका । इसके उपरान्त विभाग द्वारा BASP के अन्तर्गत हन्डोरा से अननेहर तक सडक बनाई जा रही है जिसका कार्य प्रगति पर है। अननेहर से गॉव सक्रैण तक प्रस्तावित सड़क की लम्बाई लगभग 5.000 कि0 मी0 बनती है जिसमें लोगों की निजी भूमि व वन भूमि आती है । इस प्रस्तावित सडक को बनाने बारे किसी भी बजट शीर्ष में स्वीकृति प्राप्त नहीं है। यदि इस प्रस्तावित सडक को बनाने बारे किसी भी शीर्ष में स्वीकृति प्राप्त होती है व पर्याप्त धनराशि का प्रावधान होता है तो वन भूमि के हस्तांतरण हेतु FCA Case बनाकर संबंधित विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

36 ग्राम पंचायत क्षेत्र किलोड, कुनेड, गुराड, डुलाडा, प्रीणा,राडी वलोठ, खुन्देल व लेच को जन जातीय क्षेत्र घोषित करने बारे।

गैर जनजातीय क्षेत्र किलोड,कुनेड,प्रीणा,राडी वलोठ,खुन्देल व लेच को जन जातीय क्षेत्र घोषित करने हेतु उक्त पंचायत क्षेत्र को जनता की मांग 1968–69 से चली आ रही है जिस पर आज दिन तक कोई विचार नहीं हुआ है इन क्षेत्रों की जनता का मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी पालन है व वेशभूषा गद्दी है व अति पर्वतीय क्षेत्र है अतः इन्हें जन जातीय क्षेत्र भरमौर के साथ जनजातिय घोषित करवाने की कृपा करें।

मस्त राम, किलोड़, चम्बा
जन जातीय विकास

विभागीय उत्तरः–

<u>जन जातीय विकासः–</u> संविधान की पांचवी अनुसूचि के अधीन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिये निम्न मापदण्ड हैः–

1. जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य।
2. सघनता तथा क्षेत्र का औचित्यपूर्ण आकार।
3. व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे वह जिला, ब्लॉक या तालुका हो,
4. निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

उपरोक्त दिए गए मापदण्डों में से "जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य" एक मुख्य मापदंड है। अतः इस संदर्भ में भरमौर निर्वाचन क्षेत्र 21 गैर जनजातीय पंचायतों की (जिसमें किलोड,कुनेड,प्रीणा,राडी बलोठ,खुन्देल व लेच भी शामिल है) जनजातीय जनसंख्या से सम्बन्धित सूचना व टिप्पणियां उपायुक्त, चम्बा से मांगी गई है। इस सन्दर्भ में उपायुक्त, चम्बा को नवीनतम स्मरण पत्र दिनांक 19.03.2021 द्वारा वांछित सूचना भेजने हेतु पुनः अनुरोध किया गया है। सूचना अपेक्षित है।

- **<u>उपायुक्त चम्बा अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।</u>**

37 एलोपैथी/आर्युवैदिक डिस्पैंसरी खोलने बारे।

यह कि ग्राम पंचायत कुनेड,किलोड,गुराड,डुलाडा,प्रीणा व राडी का मध्यम है। इस क्षेत्र में आर्युवैदिक चिकित्सालय/ डिस्पैन्सरी नहीं है। अतः डिस्पैन्सरी खुलवाने की कृपा करें।

मस्त राम,किलोड,चम्बा
आर्युवैदा/स्वास्थ्य

विभागीय उत्तरः–

स्वास्थ्य विभाग :–The Sub centre has already been opened at Kunaid District Chamba.

आयुर्वेदाः– The proposal with regard to opening of new Ayurveda Health Center under Gram Panchayt Kuned under Mehla Block District Chamba has been examined at the level of Government and same has been rejected due to none fulfillment of the norms fixed for opening of new Ayurvwda Health Centers.

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

38 राजकीय उच्च पाठशाला कुनेड को स्त्रोन्नत करने बारे।

राजकीय उच्च पाठशाला कुनेड को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दर्जा देने की कृपा करें।

तिलक राज,कुनेड,चम्बा
उच्च शिक्षा

विभागीय उत्तर

उच्च शिक्षाः– राजकीय उच्च पाठशाला कुनेड़ का दर्जा बढ़ाकर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने बारे उप–शिक्षा निदेशक, चम्बा से प्रस्तावना सूचना प्राप्त हुई है जिसके अनुसार वर्तमान में राजकीय उच्च पाठशाला कुनेड़ में दसवीं कक्षा में छात्रों की संख्याः 45 है तथा नजदीकी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लिल्ह की दूरी 07 कि0मी0 है। अतः यह पाठशाला स्तरोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करती है। अतः उपरोक्त सूचना इस निदेशालय के पत्र संख्याः EDN-HE(6)1-4/2019-20 (Proposal to Govt.) दिनांक 15-02-2020 द्वारा सरकार को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

39 सब सैन्टर कुनेड को पी0एच0सी0 का दर्जा देने बारे।

सब सैन्टर कुनेड को पी0एच0सी0 का दर्जा बढ़ाने के बारे में आज तक जब से यह सैन्टर खुला है तब से इस सैन्टर में किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की है। सब सैन्टर कुनेड से चम्बा अस्पताल की दूरी 40

कि0मी0 के करीब है बीमार लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

तिलक राज,कुनेड,चम्बा
स्वास्थ्य

विभागीय उत्तर

स्वास्थ्यः–The proposal with regard to upgrade the sub centre Kunaid to the level of Primary Health Centre has been asked from the concerned CMO with proper justification vide this Directorate letter No.HFW-H(ST)19/2002-26 dt. 01-01-2020.

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

40 ग्राम पंचायत चोली, तहसील चुराह में समुदाय भवन एवं जंजघर का निर्माण करने बारे।

ग्राम पंचायत चोली, तहसील चुराह में समुदाय भवन एवं जंजघर का निर्माण शीघ्र करवाया जाये ताकि यहां के लोगों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो सके।

मोहन लल सपुत्र बुधिया राम,चुराह,चम्बा
ग्रामीण विकास/उपायुक्त चम्बा

उपायुक्त चम्बाः– उपायुक्त चम्बा ने सूचित किया है कि सम्बंधित ग्राम पंचायतों को अपनी–अपनी पंचायतों से कार्य योजनाएं भेजने हेतु कहा गया था। इसके अतिरिक्त गद्दी कल्याण बोर्ड के सदस्यों को भी विकास में जन सहयोग के अंतर्गत योजनाएं भेजने हेतु कहा गया था लेकिन न तो किसी पंचायत से और न ही किसी लाभार्थी से कोई योजना प्राप्त हुई है। परन्तु इसके अतिरिक्त जो कार्य मनरेगा के अंतर्गत मान्य है उन्हें संबंधित पंचायत के मनरेगा शैल्फ 2020–21 में सम्मिलित कर लिया गया है।

- **ग्रामीण विकास विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।**
- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

41 ग्राम पंचायत वजोल जन जातीय क्षेत्र को दूर संचार ईन्ट्रनैट एवं सड़क सुविधा से जोड़ने बारे।

ग्राम पंचायत वजोल जन जातीय विधान सभा क्षेत्र भरमौर की सबसे दूर दराज की कठिन व विपरीत भौगौलिक स्थिति वाली एक ग्राम पंचायत है इस ग्राम पंचायत के किसी भी गांव में दूरसंचार मोबाईल व इन्टरनेट की सुविधा नहीं है ग्राम पंचायत कार्यालय में हाल ही में लगे VSAT को छोड़कर लोगों को इस सुविधा हेतु 30 कि0मी0 तक पैदल आना जाना पड़ता है। गांव गौन्डा, तिन्दी, भांगड़ी, धारडी व खतार गांव बहुत पिछड़े हुए हैं यह गांव अभी तक किसी भी वाहन योग्य सड़क से नहीं जुड़े हैं जिस कारण समस्या और भी गम्भीर हो जाती है इन गांवों में लोगों को सुविधा हेतु सरकारी ब्राडवेज वाई–फाई जिन्हें सोलर पैनल से लैस कर लगवाया जाये। क्षेत्र में मोबाईल कम्पनियों के टॉवर लगवायें, ताकि क्षेत्र की जनता दूसरे क्षेत्र में रह रहे रिशतेदारों व सरकारी विभागों के सम्पर्क में रह सके और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें।

राजीव कुमार, वजोल, होली चम्बा

सामान्य प्रशासन/लोकनिर्माण/सूचना एवं प्रोधौगिकी/दूरसंचार विभागीय उत्तर

सूचना एवं प्रोधौगिकी:– VSAT equipment has been installed in Gram Panchayat Bajol & Kugti Block Bharmour, Distt. Chamba but the same is yet to be made live. In this regard, a meeting was held with the Telecom Service Providers(TSPs) regarding utilization of VSATs for setting up mobile towers in remote areas on 12.12.2019 where they raised the following issues with regard to the work:-

1. TSP will plan for mobile sites after April 2020 onwards as and when snow is cleared from District Lahaul & Spiti and District Chamba .
2. TSPs also requested to subsidize charges for utilizing VSAT bandwidth in Lahaul & Spiti and Chamba districts.
3. M/S reliance mentioned that the current bandwidth being provided through VSAT is not sufficient to provide 4G connectivity.

4. M/S Bharti Airtel Ltd. Suggested that for a trial run,VSAT connectivity may be given free of cost for 6 Months and no rent for installation of Tower be charged by the State Government.

लोक निर्माण विभागः– विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि ग्रोन्डा , तिन्दी, भांगडी, धारडी व खनार गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत राजगुंडा से बडा भंगाल सडक से जोडा जाना है। जिसकी कुल स्वीकृति 2837.42 लाख है व कार्य ठेकेदार को अवॉर्ड(Award) हो गया तथा कार्य प्रगति पर है।

दूरसंचारः– M/s Bharat Sanchar Nigam Ltd., has no coverage in Bajol Gram Panchayat in Bharmour and further BSNL have no further plans to extend coverage in said area.
Further, M/s Reliance Jio Infocomm Ltd. has informed that they have completed site acquisition identification. However , construction work is pending and should be completed in 5—6 month.

सामान्य प्रशासनः– The Under Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh has informed that information of this demand may be treated as Nil.

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।**

42 ग्राम पंचायत तिन्दी, झांगड़ी, ग्रौंन्डा, धारडी व खनार क्षेत्र में विद्युत समस्या का स्थाई हल करने बारे।

ग्राम पंचायत बजोल में सर्दियों के दिनों में भारी वर्फबारी होने व विपरीत कठिन भौगौलिक परिस्थिति होने के कारण विद्युत की व्यवस्था न के बराबर है भारी बर्फबारी होने पर क्षेत्र की H.T/ L.T लाईन व विद्युत के ट्रांसफारम, खम्बे टूटने से खराब हो जाते हैं यह क्रम हर बार होता रहता है। क्षेत्र के इन पांच गांवों तिन्दी, झांगड़ी, ग्रौंन्डा, धारडी व खनार में विद्युत व्यवस्था साल में एक दो माह या साल बाद भी बहाल नहीं हो पाती है गत वर्ष हुई बर्फबारी से इन गांवों में अभी भी विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी है। अतः इस व्यवस्था को दुरूस्त किया जाए साथ

ही इन गांवों में सोलर प्लांट लगाकर विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था की जाये जिससे यह समस्या पूर्ण रूप से हल हो जाएगी सर्दियों में रहने वाले लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी इन गांवों में सोलर के माध्यम से प्रदान विद्युत व्यवस्था पूरी तरह सफल होगी। क्योंकि इन सभी गांवों में धूप 12 महीने अच्छी रहती है।

राजीव कुमार,वजोल,होली चम्बा
विद्युत/हिमऊर्जा

विभागीय उत्तर

हिमऊर्जाः– माननीय सदस्य की मांग अनुसार ग्राम पंचायत बजोल के पांच गांवों तिन्दी,झांगड़ी,गोंडा,धारडी व खनार में आफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के मद्देनजर परियोजना अधिकारी, हिमऊर्जा चम्बा हिमाचल प्रदेश को दिनांक 13 फरवरी, 2020 को पत्र जारी कर आदेश दिये गये हैं कि इन गांवों में आफ ग्रिड सौर ऊर्जा संयन्त्रों की स्थापना बारे सम्भावनाओं को तलाशने हेतु इन गांवों का शीघ्र ही दौरा करें तथा विस्तृत रिपोर्ट हिमऊर्जा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। ताकि तदानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

विधुतः– हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटिड द्वारा सूचित किया जाता है कि गावं तिन्दी,झांगडी,ग्रौन्डा,धारडी व खनार को 25 के0वी0ए0 सब–स्टेशन से 18 कि0मी0 11 केवी एच टी लाईन बजोल से धारडी तक फरवरी 2019 के दौरान बर्फबारी से क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिसकी मुरम्मत के कार्य का प्राक्कलन मूल्य रूपये 18,66,180/– को वरि0 अधिशाषी अभियन्ता विधुत मंडल हि0प्र0स्टे0इ0बा0 लि0 चम्बा के कार्यालय के टीएस0 न0 125/2019–20 द्वारा स्वीकृत किया गया है । यह कार्य श्री सिरमौरी राम ठेकेदार को वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता, विद्युत मंडल हि0 प्र0 स्टे0 इ0 बो0 लि0 चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या 253715/2019–20–4365–69 दिनांक 13–08–2019 द्वारा आबंटित किया गया था। जिसके लिये 9 मी0 लम्बाई के 39 खम्बे 6/1/3.35 माप का 10.8 कि0 मी0 कन्डकटर, 72 डिस्क इन्सुलेटर व 30 पिन इन्सुलेटर उपरोक्त ठेकेदार को दिए गए, जिसमें से 9 मीटर लम्बाई के 18 खम्बे 6/1/3.35 माप का 7 कि0मी0 कन्डकटर इस्तेमाल कर लिया गया है। उपरोक्त ठेकेदार ने यह कार्य बजोल से तिन्दी तक पूरा कर लिया गया है तथा उसके बाद ठेकेदार ने अपने पत्र संख्या शुन्य दिनांक 18–05–2020 के द्वारा वरि0 अधिशाषी अभियन्ता विधुत मण्डल हि0 प्र0 स्टेट ई0 बो0 लि0 चम्बा को सूचित किया कि वह शेष कार्य करने में असमर्थ है तथा इस कार्य को एन डी आर एफ के अन्तर्गत करवाया जा रहा था जो कि वर्ष 2019–2020 के बजट के प्रावधान में आबंटित किया गया था। शेष

कार्य को विभागीय कर्मचारियों द्वारा तीन्दी से धारडी तक की लाईन व क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को तबदील करके अस्थाई तौर पर धारडी तक बहाल कर दी गई है। तीन्दी से धारडी तक की लाईन के सुदृढ़िकरण का काम जोकि पुनः टेंडर के बाद आरम्भ कर दिया जाना है उसके रुपये 17.45 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया है तथा इस लाईन का कार्य बजट एवं जरूरी सामान उपलब्धता होने पर पूरा कर लिया जाएगा।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>**

43 भेड़–बकरियों की व्यापक रूप से चोरी बारे :– पिछले कई वर्षों की दिन–रात की कमाई को सुनियोजित गिरोह चोरी/डकैती कर रहे हैं, जिसमें भेडपालकों का मनोबल टूट चुका है तथा वह अपने धन/भेड–बकरियों को बेचने पर विवश हो चुके हैं । गृह विभाग की सूचना जो विधान सभा के पटल पर रखी गई है ,में 1 दिसम्बर, 2017 से 30 नवम्बर, 2019 तक कुल 14 एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। परन्तु यह संख्या बहुत ज्यादा है क्योकिं ज्यादातर भेडपालक कानूनी दावं पेच व सम्बन्धित परेशानियों में नहीं पडना चाहते, जिसका फायदा यह गिरोह उठाते हुए सुनियोजित तरीके से 2–3 वाहनों में आते हैं तथा रात के समय भेड–पालकों के घण में घुस कर चोरी को अंजाम देते हैं । महोदय जी, मुझे यह कहने का कोई संकोच नहीं है कि जितनी भी बार एफ0आई0आर0 हुई है उनमें कहीं न कहीं जिला मण्डी के बल्ह क्षेत्र के गांव कुम्मी का नाम आया है तथा स्पष्ट है कि यह सभी गिरोह चोरियों को अंजाम देते हैं,चाहे वह चोरी जिला कुल्लू, मण्डी, कांगडा, हमीरपुर, बिलासपुर इत्यादि में हो, यही गिरोह सम्मिलित रहे हैं । अतः मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इन गिरोहों से निपटने हेतू एक विशेष दस्ते का गठन हो जो कि गुपचुप तरीके से इन गिरोहों को रंगे हाथ पकड़े अन्यथा महोदय जी इन चोरियों से प्रभावित हो कर भेड़पालक इस धन्धे से ही किनारा कर रहे हैं ।

त्रिलोक कपूर, चेयरमन, वूल फैडरेशन
गृह विभाग

विभागीय उत्तरः–

<u>गृह विभागः–</u> विभाग ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 30–04–2019 को पुलिस मुख्यालय द्वारा भेड पालकों की सुरक्षा हेतु समस्त पुलिस अधीक्षकों को उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए है। जिला मण्डी के बल्ह क्षेत्र के कुम्मी गांव के बारे में पुलिस अधीक्षक जिला मण्डी ने सूचित किया है कि दिनांक 01–12–17 से ले कर 30–11–2019 तक 07 अभियोग पंजीकृत किए

गए है। जिनमें 17 लोगों को गिरफतार किया गया है तथा सभी अभियोगों का अन्वेषण पूर्ण करके चालान न्यायालय को भेज जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस प्रमुखों को प्रति माह बैठकों/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आम जनता की सुरक्षा और चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने बारे निर्देशित किया जा रहा है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।</u>**

44 गैर–जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे जनसंख्या हेतु अलग बजट प्रावधान बारे ।

जैसे कि आपको विदित है कि गैर–जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय लोग वास करते है, जैसे कि तहसील बैजनाथ, पालमपुर, धर्मशाला ,शाहपुर ,नगरोटा, ज्वाली, नुरपुर, भटियात, सुल्ह, डलहौजी, ज्वाली के स्थाई निवासी हैं, अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि जनजातीय बहुल पंचायतों में जहां विकासात्मक कार्यों हेतु अलग से जनजातीय बजट का जनसंख्या अनुसार प्रावधान करने की कृपा करे।

त्रिलोक कपूर, चेयरमन, वूल फैडरेशन

जनजातीय विकास विभाग

विभागीय उत्तरः–

<u>जन जातीय विकास</u>ः–जन जातीय क्षेत्रों से बाहर रह रही अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को लाभान्वित करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता व संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि में से बजट आबंटित किया जाता है जो कि गैर जनजातीय क्षेत्रों में चल रही प्रदेश की सामान्य योजना और विशेष घटक योजना में विभिन्न स्कीमों में प्रदान की जा रही बजट राशि के अतिरिक्त है।

इसके अतिरिक्त गैर जनजातीय क्षेत्रों मे रह रहे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य विकास बजट का 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त बजट आबंटन करने हेतु मामला समय–समय पर वित एवं योजना विभाग से उठाया गया है परन्तु अभी तक वित/योजना विभाग द्वारा इस मत से सहमति व्यक्त नहीं की है।

- **<u>वित्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।</u>**

45. ग्राम पंचायत डाढ के वार्ड न0 1 में बने सडक का टायरिंग करना ।

ग्रम पंचायत डाढ, तहसील पालमपुर में वार्ड न0 1 वेस्टन डाढ में बने सडक को टायरिंग करवाया जाए ।

मुंशी राम,डाढ,पालमपुर, कांगडा
लोक निर्माण/उपायुक्त कांगडा

विभागीय उत्तरः–

<u>लोक निर्माण</u> :–विभाग ने अवगत करवरया है कि उपरोक्त सडक की कुल लम्बाई 1.500 किलोमीटर है। नाबार्ड के तहत वर्ष 2016 में इस सडक की टायरिंग की गई है। विभाग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दोबारा टारिंग छह साल बाद की जा सकती है यानि की वर्ष 2021 में।

<u>उपायुक्त कांगडाः</u>–अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा स्थित धर्मशाला ने अवगत करवाया है कि उपरोक्त सडक की कुल लम्बाई 1.500 किलोमीटर है। नाबार्ड के तहत वर्ष 2016 में इस सडक की टायरिंग की गई है। विभाग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दोबारा टारिंग 6 साल बाद की जा सकती है यानि की वर्ष 2022 में।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे</u>**

46. पंचायत बनाना :–ग्राम पंचायत डाढ़ की 2 पंचायतें बनाई जाए।

मुंशीराम, डाढ़, पालमपुर, कांगड़ा
पंचायती राज विभाग

विभागीय उत्तरः–

<u>पंचायती राज विभाग</u> :– विभाग ने कहा है कि ग्राम पंचायत डाढ झिकला विकास खण्ड भवारना, जिला कांगडा की एक और नई ग्राम पंचायत अप्पर डाढ के सृजन हेतु प्रारुप अधिसूचना, दिनांक 14–9–2020 को जारी कर दी गई है, जिसका अन्तिम रुप उपायुक्त , कांगडा स्थित धर्मशाला से प्राप्त सिफारिश अनुसार किया जाएगा।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।</u>**

47. डंगा लगवाने बारे :– ग्राम पंचायत राख में रींकू राम सपुत्र श्री माधो राम, पिकू राम स्व0 श्री जीन्दो राम व नीलमा देवी पत्नी श्री कल्याण चन्द पत्नी श्री कल्याण चन्द वार्ड न0 2 में इनकी जमीन खिसक रही है । इसमें लगभग 30 मीटर लम्बा व 3/4 मीटर ऊंचा डंगा लगाने की जरूरत है ।

एस.के.प्रहलादसिंह,राख,पालमपुर,कांगडा
लोक निर्माण/ उपायुक्त कांगडा

<u>लोक निर्माण</u> :–विभाग ने अवगत करवाया है कि प्रार्थी द्वारा परौर लाहला गोपालपुर बडसर राख ज्यूण बंदला सडक पर 17/385 पर डंगा लगाने की मांग रखी गई है। यह स्थल उपरोक्त सडक से 30 मीटर दूर है और यहां डंगा निर्माण इस विभाग के कार्याधिकार क्षेत्र में नहीं है। अन्यथा यदि डंगे का निर्माण करना हो तो इसके लिए <u>4.50</u> लाख रुपए की आवश्यकता होगी।

<u>उपायुक्त कांगडाः</u>– अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा स्थित धर्मशाला ने अवगत करवाया है कि प्रार्थी द्वारा परौर, लाहल, गोपालपुर, बडसर, राख, ज्यूण व बंदला सडक पर 17/ 385 पर डंगा लगवाने की मांग रखी गई है। यह स्थल उपरोक्त सड़क से 30 मीटर दूर है और यहां डंगा निर्माण इस विभाग के के कार्याधिकार क्षेत्र मे नहीं है। यदि डंगे का निर्माण करना हो तो इसके लिए 4.50 लाख रुपऐ की आवशयकता होगी।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>**

48. डंगा एवं पुलिया बनाने बारे :– श्री त्रिलोक चन्द सपुत्र स्व0 श्री रोशन लाल वार्ड न0 4 में सड़क के किनारे जमीन गिर रही है इसमें भी तकरीबन 15 मीटर लम्बा व 2/3 मीटर ऊंचा डंगा लगवाने की जरूरत है व आगे श्री सरन दास सपुत्र श्री आत्मा राम के घर से लेकर लिंक सडक होली वाया बडसर की तरफ तकरीबन 200 मीटर सडक बिल्कुल खराब हो चुकी है इसमें तकरीबन 4 मीटर पुलिया भी बिल्कुल गांव के मध्य पडती है । पूरे गांव का आना जाना इस मार्ग से होता है। अतः इसे बनाना आवश्यक है।

एस.के प्रहलादसिंह, राख, पालमपुर, कांगडा
लोक निर्माण/ उपायुक्त कांगडा

<u>विभागीय</u> उत्तरः–

<u>लोक निर्माण</u> :—विभाग ने अवगत करवाया है कि यह विभाग का बजटिड रोड नहीं है तथा प्रार्थी की जमीन इसी सड़क के किनारे है जिस पर तकरीबन 15 मी0 लम्बा व 2/3 मी0 ऊंचा डंगा लगवाने की मांग की है व आगे श्री सरन दास सपुत्र श्री आत्मा राम के घर से लेकर लिंक रोड़ तकरीबन 200 मीटर बिल्कुल खराब हो चुकी है इसमें तकरीबन 4 मीटर पुलिया भी पड़ती है। अतः उपरोक्त कार्यों का निमार्ण लोक निमार्ण विभाग द्वारा किया जाना असम्भव है।

<u>उपायुक्त कांगडाः</u>— अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा स्थित धर्मशाला ने अवगत करवाया है कि विभाग का बजटीड रोड नहीं है तथा प्रार्थी की जमीन इसी सड़क के किनारे है। यहां पर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना संभव नहीं है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।</u>**

49. एम्बुलैंस रोड बनाने बारे । ग्राम पंचायत बन्दला में वार्ड न0 02 बोहल और वार्ड न0 03 झंझारडा में लगभग 1—5 किलो मीटर एम्बुलैंस रास्ते का निर्माण किया जाए । इस रास्ते के निर्माण से लगभग 40 परिवारों को लाभ होगा ।

विजय भटट, प्रधान, बन्धला,नछीर, पालमपुर, कांगडा
लोक निर्माण/ उपायुक्त कांगडा

विभागीय उत्तर

<u>लोक निर्माण</u> :— विभाग ने अवगत करवाया है कि यह विभाग का बजटिड रोड नहीं है इस रोड के निमार्ण के लिए 40 लाख रुपए की आवश्यकता है। जमीन और धन की उपलब्धता होने के उपरान्त एम्बुलैंस रोड /रास्ते का निर्माण किया जा सकता है।

<u>उपायुक्त कांगडाः</u>— अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने अवगत करवाया है कि ग्राम पंचायत बन्दला में वार्ड न0 2 बोहल और वार्ड न0 3 झंझारड़ा मे लगभग 1.500 किलोमीटर एम्बुलैंस रोड का निर्माण चाहा है जिसके लिए जमीन की उपलब्धता एवं 40 लाख रुपये की आवश्यकता है। जमीन और धन की उपलब्धता होने के उपरान्त एम्बुलैंस रास्ते का निर्माण किया जा सकता है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>**

50. सडक बनाने बारेः— ग्राम पंचायत बन्दला वार्ड न0 09 एम0 ई0 एस0 रोड से वाटर टैंक माता मन्दिर कलहोली तक एम्बुलैंस रोड जिसकी लम्बाई 500 मीटर है की स्वीकृत करने की कृपा करें ।

विजय भटट, प्रधान, बन्धला, नछीर, पालमपुर, कांगड़ा

लोक निर्माण/ उपायुक्त कांगड़ा

विभागीय उत्तरः—

<u>लोक निर्माण</u> :— विभाग ने अवगत करवाया है कि यह विभाग का बजटिड रोड नहीं है । इस सडक के निमार्ण के लिए 13,49,785/रु0 और जमीन की उपलब्धता होना अनिवार्य है।

<u>उपायुक्त कांगड़ाः—</u> अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा स्थित धर्म"ाला ने अवगत करवाया है कि ग्राम चपांयत बन्दला के वार्ड न0 9 में एम0 ई0 एस0 रोड़ से वाटर टैंक माता मन्दिर कलहोली तक एम्बुलैंस रोड़ जिसकी लम्बाई 500 मीटर है। इस सड़क के निर्माण के लिए 13,49,785/ रुपये व जमीन की उपलब्धता होना अनिवार्य है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।</u>**

51. शमशान घाट के निर्माण बारे— ग्राम पंचायत खलेट गांव व डा0 खलेट त0 पालमपुर जिला कांगडा में शमशान घाट का निर्माण करने बारे आग्रह किया है।

अमर सिंह जगी सदस्य गददी कल्याण कांगड़ा

उपायुक्त कांगड़ा

विभागीय उत्तरः—

<u>उपायुक्त कांगड़ाः—</u> अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा स्थित धर्मशाला ने अवगत करवाया है कि ग्राम पचांयत खलेट में शमशान घाट निर्माण हेतु वर्ष 2018—19 में माननीय पूर्व सांसद श्री शान्ता कुमार की अनुशंसा पर मु0 1.00 लाख रुपये की धन राशि सांसद निधि से स्वीकृत की जा चुकी है।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।</u>**

52. रास्ते की मुरम्मत बारे — ग्राम पंचायत खलेट गांव व डा0 खलेट त0 पालमपुर जिला कांगडा में बबलू की दुकान से पुरषोतम के घर तक रास्ते की मुरम्मत करने बारे आग्रह किया है।

अमर सिंह जगी सदस्य गददी कल्याण कांगड़ा

लोक निर्माण/ उपायुक्त कांगड़ा

विभागीय उत्तरः–

लोक निर्माण :– विभाग ने अवगत करवाया है कि रास्ते की मुरम्मत करने का कार्य इस विभाग का नहीं है। लोक निर्माण द्वारा जीप योग्य सडक का निर्माण किया जाता है रास्ते की मुरम्मत का नहीं।

उपायुक्त कांगडाः– अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा स्थित धर्मशाला ने अवगत करवाया है कि उक्त मामला जिला राजस्व अधिकारी कांगडा स्थित धर्मशाला को आगामी कार्रवाई हेतु भेजा गया था। उनसे प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत खलेट गांव व डाकघर खलेट में बबलू की दुकान से पुरूषोत्तम के घर तक रास्ते की मुरम्मत इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।**

53. मशीनों द्वारा ऊन कटाई में भेड पालकों को आ रही समस्या बारेः–

गत वर्ष माह सितम्बर , अक्तूबर, 2019 में जो शीप शेयर वूल फैडरेशन के लिए कमीशन के आधार पर पिछले 10–15 वर्षों से कार्य कर रहे थे वे हड़ताल पर चले गए, जिस कारण से प्रदेश के सैंकड़ों घुमन्तु भेड़पालकों को अपनी भेड़ों की शेयरिंग के इन्तजार में जिला कुल्लू ,चम्बा, कांगड़ा के विभिन्न आवागमन के रास्तों पर करीब एक माह की अवधि के लिए पड़ाव डालना पड़ा व परेशानियों का सामना करना पड़ा। महोदय जी मशीनों द्वारा भेड़ पालकों को काफी लाभ पहुंच रहा है, क्योंकि इससे एक ओर कम समय में भेड़ ऊन की कटाई हो जाती है। उत्पादकता व गुणवत्ता भी बढती है व भेडो के लिए आरामदायक भी रहती है। भेड पालकों को यह सुविधा वूल फैडरेशन के माध्यम से गांव व जंगल स्तर पर मिल रही है। जो यह कार्य शेयर कर रहे है उनकी भी परेशानियां राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा कठिन कार्य को देखते हुए काफी सराहनीय है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि शीप शेयरों को जो प्रदेश में 15–16 ही है को वूल फैडरेशन में चतुर्थ श्रेणी के पद पर समायोजित करने की कृपा करें एवं वूल फैडरेशन जो एक छोटी सी संस्था है को स्थायी अनुमोदन देने की कृपा करें ताकि वह इस गतिविधि को सुचारू रूप से चला सके व पूरे प्रदेश में प्रसारित कर सके।

जोगेन्द्र रनोट , पालमपुर कांगड़ा
पशुपालन विभाग

विभागीय उत्तरः–

पशु पालन विभागः– The Wool Federation is providing facility of mechanical sheep shearing in the pastures. Three posts of sheep sherers have been created in H.P. Wool Federation . Sheep shearing facility is also being provided by the Wool Federation by engaging 15 private trained sheep shearers . It is pertinent to mention here that these 15 private trained sheep shearers have gone on strike during the month September 2019 which caused severe inconvenience to sheep shearers of the State . Keeping in view of the demand raised by above sheep shearer, a fresh proposal for providing additional GIA to Wool Federation for creation of 15 No. of sheep shearers(Class-IV)inWool Federation is hereby submitted . These posts would be filled up on daily wages basis. The expenditure on a/c of wages for these posts is to be debitable under demand No. 14 – Animal Husbandry of the Head of Account :- 2403-104-11-02 current financial year 2020-21.

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

54.**स्थाई नीति बनाने बारेः–** मैं सरकार का ध्यान राजस्व विसंगतियों के चलते गद्दी जनजाति के लोग जो गैर जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं, ने सरकारी या श्यामलात भूमि पर दशकों से /30–40 वर्षों से अपने मकान इत्यादि बना लिये थे, परन्तु उनके सरकारी अमले की तलवार लटकी हुई है पिछली भाजपा सरकार ने निर्णय लिया था कि जिनके पास ऐसी सरकारी भूमि है या श्यामलात भूमि है के बारे आवेदन कर सकता है तथा आवेदन मंगवाए गए थे, परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसे मामले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां लोगों ने अपने रहने लायक मकान तक बना लिये परन्तु भूमि उनकी नहीं थी वह अब डर के साये में जी रहे हैं। सरकार की अलग–अलग एजैंसियां उन्हें बेदखल करने के लिए दवाब डालती रहती है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे मामले पर कोई स्थाई नीति बनाई जाए।

जोगेन्द्र रनोट ,पालमपुर कांगड़ा
राजस्व विभाग/ उपायुक्त कांगड़ा

विभागीय उत्तरः–

राजस्व विभागः– राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2002 में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को नियमित करने बारे नीति बनाई गई थी जो CWP No. 1028/2002 titled Punam Gupta Vs. State of H.P. and ors. में माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है तथा इस मामले में कोई भी

टिप्पणी करना उचित नहीं है। सरकार द्वारा वर्ष 2017 मे प्रस्तावित नीति अभी अधिसूचित नहीं की गई है।

उपायुक्त कांगड़ाः— उपायुक्त कांगडा ने अवगत करवाया है कि उक्त मद बारे जिला राजस्व अधिकारी कांगडा स्थित धर्मशाला ने सूचित किया है कि इस संदर्भ में ताहाल ऐसी ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिसके आधार पर इस समुदाय के लोगों का राजस्व रिकार्ड में बतौर मालिकाना हक हकूक दर्ज किया जाए।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगें।**

55. हैंडपम्प लगवाने बारेः—ग्राम पंचायत अप्पर मुगल में गददी समुदाय के लोगों का पेयजल की गम्भीर समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस गाँव में मोटर स्वचालित हैण्ड पम्प लगवाने की कृपा करे।

ललित कपूर, पालमपुर, कांगडा
उपायुक्त कांगडा/जल शक्ति विभाग

विभागीय उत्तर

जल शक्ति विभाग :— **जल** शक्ति विभाग के प्रमुख अभियन्ता ने अवगत करवाया है कि ग्राम पंचायत अप्पर मुंगल में गददी समुदाय के लोगों को हैंडपम्प लगा हुआ है, परन्तु उसमें मोटर लगाने लायक पानी उपलब्ध नही है। अतः इस हैंडपम्प को Energize नही किया जा सकता है। ग्राम पंचायत अप्पर मुंगल के लोगो को उठाऊ पेयजल योजना मुंगल राणा नगर स्कीम से भी पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जा रहा है।

उपायुक्त कांगड़ाः— अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा स्थित धर्मशाला ने अवगत करवाया है कि अधिशाषी अभियंता जल शक्ति मण्डल पालमपुर से रिपोर्ट ली है जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत अप्पर मुंगल में गद्दी समुदाय के लोगों को पहले से ही हैंडपम्प लगा हुआ है परन्तु उसमें मोटर लगाने लायक पानी नहीं है इसलिए इस हैंडपम्प को Energized नहीं किया जा सकता है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।**

56 ट्रांसफार्मर लगाने बारेः— ग्राम पंचायत सुंगल के लोअर सुंगल में गददी बहुल क्षेत्र है। यहां बिजली वोल्टेज प्रायः कम रहती है जिसके कारण बिजली से चलने वाले सामान नहीं चलते या समय से पहले खराब हो जाते है ।अतः निवेदन है कि यहां एक बिजली का ट्रांसफार्मर लगवाने की अनुकम्पा करें।

ललित कपूर, पालमपुर, कांगड़ा
विद्युत विभाग

विभागीय उत्तरः–

विद्युतः– विभाग ने अवगत करवाया है कि ग्राम पंचायत सुगत के लोअर सुंगल (तार दा पुल) में कम वोल्टेज की सुधार के लिए मौजूदा 11–/0.4 के0 वी0 63 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर से 3 फेस एल0 टी0 लाईन लगभग 0. 650 कि0 मी0 माह नवम्बर 2020 में बना दी गई तथा जिसमें 7 घरों को जो कि गॉव के बाहरी भाग में स्थित है बिजली आपूर्ति की जा रही है। अब इन घरों का लोड उचित तरीके से बांट दिया गया है। जिससे कम वोल्टेज की समस्या का निवारण हो गया है तथा दिनांक 11–12–2020 को इन घरों की वोल्टेज शाम के 3.15 बजे 223 वोल्ट तथा रात के 8.00 बजे 209 वोल्ट मापी गयी , जो कि पर्याप्त है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।**

57. स्कूल ग्राउंड को खेल स्टेडियम के तौर में जनजातीय विकास विभाग के अधीन करने करने बारेः– तहसील पालमपुर जिला कांगडा की ग्राम पंचायत स्पेडू ननाहर रजेहड और नैणी पडती है, जो गददी बहुल क्षेत्र है। यहां कंडवाडी गांव के स्कूल में ज्यादातर बच्चे अनुसूचित जनजाति के पढते है। यहां स्कूल ग्राउंड को खेल स्टेडियम के तौर पर जनजातीय विकास विभाग अपने अधीन लेकर विकसित करें तो यहां के बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास सही ढंग से हो सकेगा और उनका भविष्य उज्जवल होगा और प्रदेश और देश में बच्चे अपना योगदान दे सकेंगे।

ओम प्रकाश कमलेहड़, जिला कांगड़ा

शिक्षा विभाग/जनजातीय विभाग

शिक्षा विभागः– उच्चतर शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश ने अवगत करवाया है कि निदेशालय के पत्र संख्याः– एच (9) सी0 (16) 4/2020–21 (कांगडा) दिनांक 18–6–2020 एवं 11–8–2020 द्वारा महाल कमलेहड कंडवाडी, खसरा नं0 304व 278 सरकार हिमाचल प्रदेश कब्जा स्वयं बर्तनदार च0 बि0दरख्तान 9321मी0 व खसरा नं0 292 7334 मी0 गै0 मु0 अहाता सरकार हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग राजकिय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडवाडी को जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी , कांगडा स्थित धर्मशाला को खेलों के ढांचागत विकास हेतु परियोजना बनाने हेतु कुछ शर्तों के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

जनजातीय विकास विभागः– जनजातीय विकास विभाग अपने आप में कार्यकारी विभाग(Executing Department)नहीं है । शिक्षा विभाग द्वारा युवा सेवायें एवं खेल विभाग को सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के मध्य नजर युवा सेवायें एवं खेल विभाग अपनी किसी योजना के अन्तर्गत इसे बनवाने का प्रयास करें अथवा खेलों के ढ़ांचागत विकास हेतु प्रस्ताव जनजातीय विकास विभाग को प्रेषित करे ताकि उस पर परिक्षणोपरान्त उपयुक्त कार्यवाही की जा सके।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।</u>**

58. सडक निर्माण बारे :– ग्राम पंचायत नैण कमलेहड वार्ड न0 5 प्रीतम सिंह सपुत्र स्वर्गीय श्री जय करण के घर से लेकर हरनेक सिंह सपुत्र स्व0 श्री पूर्ण चन्द के घर तक सडक बनने से चार पंचायत के लोग वाया भरमात से पालमपुर जाते है । इस सडक को बनाने की यहां के लोगों की बहुत पुरानी मांग है। बरसात में लोगों को इस सडक में आते जाते बडी मुश्किल होती है। इसके बीच में एक आवाह नदी पडती है जिसमें पुल नाम मात्र का है। इसे भी जनजातीय विभाग अपने अधीन लें।

ओम प्रकाश कमलेहड़,त0 पालमपुर जिला कांगड़ा
लोक निर्माण/जनजातीय विभाग

<u>विभागीय उत्तर</u> :–

<u>लोक निर्माणः–</u> विभाग ने अवगत करवाया है कि प्रार्थी द्वारा जिस मार्ग/पुल को बनाने की मांग रखी है , वह मार्ग लोक निर्माण विभाग का बजटिड रोड नहीं है। अतः मामला इस विभाग से संबन्धित नहीं है।

<u>जनजातीय विकास विभागः–</u> जनजातीय विकास विभाग के अनुरोध पर योजना विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए लोक निर्माण विभाग की मांग संख्या–10 के अन्तर्गत को ग्रामीण सड़कों के बारे मु0 4.50 करोड़ रुपये का प्रावधान जनजातीय क्षेत्रों से बाहर रह रहे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु चिन्हांकित किया गया है। लोक निर्माण विभाग इस सड़क को परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में सम्मिलित करने बारे उपयुक्त आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएं ।

- **<u>उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।</u>**

59. जीप योग्य सडक निमार्ण करने बारे :–पालमपुर तहसील जिला कांगडा की कलूण्ड – नगर पंचायत के बार्ड न0 6 में गददी समुदाय का बडा क्षेत्र है जहां जनजातीय लोग ही रहते है। यहां पर जीप योग्य रोड जो लगभग 200मीटर है तथा क्षतिग्रस्त होने के कारण समुदाय को आने– जाने में समस्या रहती है। इस रोड को आधुनिक blocks (Pebble) द्वारा लगभग ढाई ईंच मोटाई द्वारा निर्मित किया जाये।

डा0 हरवंश बन्टी,त0 पालमपुर जिला कांगड़ा
लोक निर्माण / उपायुक्त कांगड़ा

<u>विभागीय उत्तर</u> :–

लोक निर्माणः– विभाग ने अवगत करवाया है कि प्रार्थी द्वारा 200 मी0 लम्बे जिस मार्ग को बनाने की मांग रखी गई है, वह लोक निर्माण विभाग का बजटिड रोड नहीं है। अतः मामला इस विभाग से संबंन्धित नहीं है।

उपायुक्त कांगड़ा अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा स्थित धर्मशाला ने अवगत करवाया है कि इस मद में मुख्य अभियन्ता (कांक्षे0) हिमाचल प्रदेश लोक नि0 वि0 धर्मशाला को आगामी कार्रवाई हेतु भेजा गया है जिसकी ताहाल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिस बारे मुख्य अभियन्ता (कां0क्षे0) हिमाचल प्रदेश लोक नि0 वि0 धर्मशाला को स्मरण पत्र जारी किया जा चुका है।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।**

60. महिला मण्डल के भवन निमार्ण बारेः– ग्राम पंचायत कलूण्ड के जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं का महिला मण्डल भवन का कार्य पिछले कई वर्षों से अधूरा पडा है। जिस कारण महिलाओं को अपनी मीटिंग करने में असुविधा रहती है। इन जनजातीय महिलाओं के महिला मण्डल भवन का निर्माण पूरा किया जाये।

डा0 हरवंश बन्टी, त0 पालमपुर जिला कांगड़ा

ग्रामीण विकास/ उपायुक्त कांगड़ा

उपायुक्त कांगड़ाः– अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा स्थित धर्मशाला ने अवगत करवाया है कि उक्त मामले में जिला योजना अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने खण्ड विकास अधिकारी, भवारना को लिखा है कि आप माननीय सदस्य के साथ सम्पर्क कर महिला मण्डल भवन हेतु भूमि का चयन व अन्य औपचारिकताऐं पूर्ण कर प्रस्ताव प्रांकलन सहित अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या के साथ इस कार्यालय को प्रषित करें ताकि आगामी उचित कार्यवाही अमल में लाई जा सकें ।

- **ग्रामीण विकास से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।**
- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।**

61. गद्दी भवन (जन जातीय भवन) दियोल के लिए 15 लाख धन की स्वीकृति बारे।

बैजनाथ तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दियोल में आज से पूर्व पच्चास वर्ष (50 साल) पहले गद्दी भवन (जन जातीय भवन) का निर्माण किया गया था। क्योंकि जब गद्दी समाज के लोग निचले क्षेत्र से होली –भरमौर जिला चम्बा की ओर जाते थे तो दियोल गद्दी भवन में उनका ठहराव होता था। यह स्थान समस्त पंचायतों का केन्द्र बिन्दु है। यहां से सुबह 4 बजे उठकर जाते हैं और उसी दिन जालसू नामक जोत को पार करते हैं। इसी कारण समस्त गद्दी समुदाय के लागों ने अपना धन इकट्ठा करके इस भवन का निर्माण किया था। आज यह भवन ठहराव योग्य नहीं है । श्री मान जी इसके

पूर्ण निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित अनुमानित राशि 15 लाख रु0 आंकी गई है अतः इसे जनहित में स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

सुरेन्द्र कुमार (पूर्व प्रधान) तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा

लोक निर्माण, जनजातीय विकास, उपायुक्त कांगड़ा

विभागीय उत्तर :–

लोक निर्माणः– विभाग ने अवगत करवाया है कि प्रार्थी द्वारा गददी भवन (जन जातीय भवन) दियोल को बनाने की मांग रखी गई है, उसके लिए लोक निर्माण विभाग के पास कोई भी धनराशि जमा नहीं है।

उपायुक्त कांगड़ा :– अतिरिक्त उपायुक्त कांगडा स्थित धर्म''ाला ने अवगत करवाया है कि उक्त मामले में जिला योजना अधिकारी कांगडा स्थित धर्म''ाला ने खण्ड अधिकारी बैजनाथ को लिखा है कि आप माननीय सदस्य के साथ सम्पर्क कर जन जातीय भवन हेतु भूमि का चयन व अन्य औपचारिकताऐं पूर्ण कर प्रस्ताव प्रांकलन सहित अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या के साथ इस कार्यालय को प्रषित करें ताकि आगामी उचित कार्यवाही अमल में लाई जा सकें ।

जनजातीय विकास विभागः– उपायुक्त कांगड़ा से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

- **उपरोक्त विभाग अद्यतन वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाऐंगे।**

62. ग्राम पंचायत फटाहर के गांव करनायू में खेल के मैदान के लिए 10 लाख रु0 के धन स्वीकृति बारे।

ग्राम पंचायत फटाहर के गांव करनायू में खेल के मैदान की आवश्यकता है, क्योंकि यह इलाका गददी बहुल क्षेत्र है। इस खेल के मैदान से समस्त पंचायतें जैसे फटाहर ,दियोल धरेड सेहल, उतराला, हरेड कन्द्राल के बच्चों को खेल सम्बन्धित पूरा लाभ प्राप्त होगा। यह सब पंचायतें पूर्ण रूप से गद्दी समुदाय से सम्बन्धित है और जनजातीय बहुल क्षेत्र के लिए मिसाल होगी।

सुरेन्द्र कुमार (पूर्व प्रधान) तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा

युवा सेवाएं एवं खेल

विभागीय उत्तरः–

युवा सेवाएं एवं खेलः– The Secretary, YSS, has informed that providing approval Rs. 10 lakh in village Karnau, GP Fatchar, Tehsil, Baijnath for construction of Play Ground, the matter shall

be put up for consideration for release of funds after submission of feasibility report and proposal with land papers estimate for DYSSO Kangra.